भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट
2017–18

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

सरकार के साथ नागरिक सामाजिक संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र संस्था

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

विषय सूची

02 अध्यक्ष का सन्देश

05 शब्द संकेत

1. बीआरएलएफ के बारे में

08 पृष्ठभूमि

09 हमारी विधा

11 बीआरएलएफ की मूल्य संकल्पना

12 बीआरएलएफ की सुशासन व्यवस्था

13 बीआरएलएफ का संगठनात्मक ढांचा

13 पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता

14 बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार

2. बीआरएलएफ द्वारा क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य

16 नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी

16 बीआरएलएफ परियोजनाओं को सह वित्त व अन्य वित्तीय सहयोग

17 बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव

18 *संस्थागत निर्माण*

18 *जमीनी स्तर पर क्षमताओं का निर्माण*

18 *कृषि*

18 *पशुधन विकास*

18 *प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन*

19 *अधिकार एवं हक़*

19 साझेदार संगठनों को सहजीकरण सहयोग

19 *कृषक उत्पादक संगठन / कंपनी*

20 *आंगन में देसी मुर्गीपालन (बैकयार्ड पोल्ट्री)*

3. मुख्य विषयगत क्षेत्र

22 सहभागी भू जल प्रबंधन

23 जल व स्वच्छता (वाश)

24 गैर कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि (एनपीएमए)

25 विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां

25 पशुधन अवधारणा आधारित संदर्भ केंद्र (सेंटर फॉर पेस्टोरेलिज्म–सीएफपी)

4. राज्य सरकारों के साथ साझेदारी

28 झरना कायाकल्प व प्रबंधन

29 ऊषर मुक्ति परियोजना

5. क्षमता निर्माण

32 ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ता कार्यक्रम (रूरल प्रोफेशनल्स प्रोग्राम)

33 ग्रामीण आजीविका में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम

33 *अभ्यर्थियों का चयन व उनका परिचय*

33 *पाठ्यक्रम विषय–वस्तु*

34 *कार्यक्रम मार्ग*

34 ग्रामीण आजीविका में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के परिणाम

36 ग्रामीण आजीविका पाठ्यक्रम व अध्यापन की बाहरी समीक्षा

36 ग्रामीण प्रबंध में एमबीए

6. शोध एवं ज्ञान प्रबंधन

38 सांख्यिकी व दस्तावेजीकरण

39 जनजातीय विकास रिपोर्ट

39 *श्री गिरीश प्रभुने व समरसता पुनुरुत्थान गुरूकुलम पर आधारित रिपोर्ट*

40 भावी परियोजनाएं

40 *नए साझेदार संगठनों हेतु प्रभाव मूल्यांकन*

40 *साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनो के सफल अनुभव*

40 *नीति ज्ञापन (मेमो)*

7. वित्तीय संसाधन जुटाना

42 जुटाई गयी राशि

8. वित्त, अंकेक्षण व अनुपालना

43 भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा अंकेक्षण

44 अनुपालना

49 लेखा अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश 2017–18

63 आउटरीच संबंधी विस्तृत आंकडे

अध्यक्ष का सन्देश

बीआरएलएफ को जिस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था, उसे पूर्ण करने के लिए वर्ष 2017–18 में बीआरएलएफ ने कई कदम उठाए हैं। पहला कदम तो यही है कि बीआरएलएफ ने अपनी परियोजनाओं के द्वारा अब तक 5,33,245 परिवारों तक अपनी पहुँच स्थापित की है। इनमें से 75% परिवार मध्य भारत के आदिवासी परिवार हैं। चालू वित्त वर्ष (2017–18) के अनुसार, ये परिवार देश के आठ राज्यों– गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 59 जिलों के 128 जिलों में 1,653 ग्राम पंचायतों के 5,912 गांवों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं के लिए बीआरएलएफ द्वारा पांच वर्षों के लिए कुल 67 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। चालू वित्त वर्ष (2017–18) में आजीविका कार्यों हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, गैर कीट नाशक कृषि प्रबंधन, कृषि, पशुधन, वन–आधारित आजीविका, अधिकारों व हकों हेतु तथा झरना विकास व पश्चिम बंगाल में ऊषरमुक्ति परियोजना आदि क्षेत्रों में अनुदान के रूप में 18.53 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। बीआरएलएफ के साझेदार संगठनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे; स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना और आवास योजना आदि को व्यापक विस्तार प्रदान किया है। 34 साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा कुल 102 करोड़ रुपये का सह–वित्त जुटाया गया है। साझेदार संगठनों द्वारा सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 81.72 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गयी जोकि संचित रूप में अबतक 343.67 करोड़ रुपये तक हो चुकी है। यह एक तरह से बीआरएलएफ की प्रगति को दर्शाता है कि बीआरएलएफ की स्थापना से लेकर अबतक पहली बार ऐसा हुआ है कि, इस वित्तीय वर्ष में, बीआरएलएफ का कुल वार्षिक व्यय इसकी कुल आय से भी अधिक रहा है।

चालू वित्त वर्ष में नयी परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रण का दूसरा चरण भी आरम्भ किया गया। साझेदार संस्था चयन हेतु बीआरएलएफ द्वारा सावधानीपूर्वक और पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के एक संकेतक के रूप में, यह उल्लेखनीय है कि बीआरएलएफ से अनुदान प्राप्त करने हेतु 180 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 20 प्रस्ताव ही फील्ड स्तर पर फंडिंग पूर्व मूल्यांकन हेतु गहन समीक्षा के स्तर पर सफल हो सके। अंत में कार्यक्रम अनुदान व चयन समिति द्वारा उचित अनुमोदन के बाद, केवल 10 संगठनों को ही (कुल आवेदकों के 5%) बीआरएलएफ द्वारा अनुदान अनुमोदित किया गया। इन 10 चयनित साझेदार संगठनों के प्रयासों से आने वाले तीन वर्षों में बीआरएलएफ की परिवारों तक कुल पहुंच में 89,107 परिवारों के और जुड़ जाने की अपेक्षा है।

इस वृद्धि को सतत बनाये रखने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का अत्यधिक हर्ष है कि बीआरएलएफ द्वारा *'झारखंड और मध्यप्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन को रूपांतरित करने हेतु नागरिक सामाजिक संगठनों की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना'* नामक परियोजना के लिए *'जॉइंट कॉल फॉर प्रोपोसल्स फॉर इंडिया 2016–17: अंडर लॉट : सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन्स'* के रूप में यूरोपियन कमीशन से महत्वपूर्ण अनुदान हेतु चयन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धात्मक आवेदन प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूरा किया गया। इस तीन वर्षीय परियोजना की कुल लागत 8.1 करोड़ रूपये (यूरो 1,074,801) है। परियोजना लागत का 90% हिस्सा (967,321 यूरो अथवा 7.16 करोड़ रुपए) यूरोपियन अनुदान के तहत व शेष (10%) अनुदान बीआरएलएफ द्वारा जुटाया जायेगा।

भारत सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में राज्य सरकारें ही प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसी होती है। अतः, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी ही नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रयासों की सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी है जोकि बदले में तुरंत प्रभाव से सरकारी हस्तक्षेपों हेतु विशाल सामाजिक पूँजी का सृजन करती है। यही बीआरएलएफ का ध्येय और इसकी पहचान है। यह बड़ी संतुष्टि का विषय है कि बीआरएलएफ ने इस संबंध में कई ठोस कदम उठाए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा इकाई के साथ झरना पुनरसृजन और विशाल ऊषर मुक्ति कार्यक्रम हेतु साझेदारी स्थापित करना उल्लेखनीय है। राज्य सरकार हेतु प्रतिबद्धता अनुसार ऊषर मुक्ति के तहत 346 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं और उसके अनुसार काम आगे बढ़ रहा है व कई और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रक्रियारत हैं। छत्तीसगढ़ और ओड़िसा सरकार के साथ बीआरएलएफ की आगामी साझेदारी भी इसी संबंध में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मेंडालेखा ग्राम सभा द्वारा किए गए मौलिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ बीआरएलएफ का संवाद भी जमीनी शासन और लोकतंत्र को गहरा बनाने और मध्य भारत के जनजातियों को सशक्त बनाने की दिशा में ही एक और कदम है।

बीआरएलएफ की क्षमता निर्माण इकाई द्वारा आईआईएचएमआरयू, जयपुर के साथ साझेदारी में 'ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम' के तहत दूसरे बैच का छह माह का गहन प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। अबतक के इन दो बैचों में 57 जनजातीय युवक व युवतियां ग्रामीण पेशेवर

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी ही नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रयासों की सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी है जोकि बदले में तुरंत प्रभाव से सरकारी हस्तक्षेपों हेतु विशाल सामाजिक पूँजी का सृजन करती है। यही बीआरएलएफ का ध्येय और इसकी पहचान है।

कार्यकर्ता बनने की योग्यता हासिल कर चुके हैं। सभी विद्यार्थी या तो गैर सरकारी संगठनों के साथ क्षेत्र में कार्यरत हैं अथवा ग्रामीण उद्यमी बनने के लिए उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत हैं। इसी प्रकार बीआरएलएफ की एक और महती उपलब्धि आईआईएचएमआरयू, जयपुर के साथ मिलकर ग्रामीण प्रबंधन में 13 जनजातीय छात्रों को एमबीए डिग्री कराने हेतु प्रायोजित करने सरीखा नवाचार करना है। इस एमबीए पाठ्यक्रम को और अभ्यास–उन्मुख, रुचिकर, व विशिष्ट बनाने की दृष्टि से पुनः तैयार किया गया है। ऐसी आशा है कि ये छात्र अपने सीखे हुए को व्यवहार करने और अर्जित ज्ञान को कार्य में लगाने के लिए कम से कम तीन वर्ष क्षेत्र में काम करने में देंगें।

बीआरएलएफ की शोध इकाई अपनी पहली जनजातीय विकास रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की कगार पर है। रिपोर्ट हेतु देशभर के स्थापित विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए बारह लेखों को प्राप्त किया जा चुका है। आगामी महीनों में इस रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है। शोध के इस प्रयास के एक भाग के रूप में बीआरएलएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर आंकड़ों और सांख्यिकी का एक खंड बनाया गया है जिसमें मध्य भारत के आदिवासियों के जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बंधित सूचनाओं को समावेशन है। संभवतः, अपने आप में यह इस प्रकार का पहला डेटाबेस है जो आमजन के लिए उपलब्ध है।

अंत में, अपने कार्य में पारदर्शिता व जवाबदेहिता के उच्च मानकों को अपनाने के लिए बीआरएलएफ निसंदेह रूप में बधाई के योग्य है। दिसम्बर 2017 में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय से अंकेक्षकों की एक टीम द्वारा बीआरएलएफ के लेखों, प्रक्रियाओं, नीतियों, दस्तावेज संधारण, और अनुपालनाओं का तीन सप्ताह तक सघन परीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक भी ऐसा अंकेक्षण अवलोकन नहीं प्राप्त हुआ जो खण्ड II–ए में वर्गीकृत होता हो जिसमें सामान्यतः, जोखिमों व सारतत्वता की कसौटी पर गंभीर आरोप सिद्ध होते हों। सीएजी द्वारा अनुशंसात्मक (खण्ड II–बी वर्ग) रूप में मात्र पांच बिन्दुओं पर अवलोकन प्रस्तुत किया गया। यह बीआरएलएफ की वित्तीय व प्रशासनिक टीम के असाध्य परिश्रम व उच्च वित्तीय व प्रशासनिक मानकों की उनके द्वारा की गयी श्रेष्ठ अनुपालना का ही सुखद परिणाम है।

समस्त प्रयासों के पीछे बीआरएलएफ की आमसभा व शासी समिति के सम्मानीय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके योगदान व निर्देशन के अभाव में इन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। बीआरएलएफ टीम के लिए आम सभा व शासी समिति के सदस्यों की बैठकों का अनुभव सदैव प्रेरणादायी रहता है क्योंकि इस विशाल परिषद् व अनंत अनुभवी सदस्यों की संगत से हम सदा ही लाभान्वित होते आये हैं। अंत में, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग व सहभागिता के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डॉ. मिहिर शाह
अध्यक्ष

सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई

शब्द संकेत

एबीएफ	एक्सिस बैंक फाउंडेशन
एसीटी	एरिड कम्युनिटीज एंड टेक्नोलॉजीज
एक्वाडेम	एडवांस्ड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट
एईएन	असिस्टेंट इंजिनियर
एजीएम	एनुअल जनरल मैनेजमेंट
एजीएसए	आंचलिक जन सेवा अनुष्ठान
एकेआरएसपीआई	आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया
एएसएचए (आशा)	एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट
एटीएमए (आत्मा)	एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी
एवी	ऑडियो विजुअल
बायफ	बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन
बीडीओ	ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर
बीजीएस	बोलांगीर ग्रामोद्योग समिति
बीएमएमयू	ब्लाक मिशन मैनेजमेंट यूनिट
बीआरएलएफ	भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन
सीए	कंसर्वेशन एग्रीकल्चर
सीबी	कैपेसिटी बिल्डिंग
सीबीओ	कम्युनिटी बेस्ड आर्गेनाईजेशंस
सीडीडी	कंसोरशियम फॉर द वाट्स डिसेमीनेशन सोसाइटी
सीईओ	चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
सीएफटी	क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम
सीआईआई	कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज
सीआईएनआई	कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्ज
सीआईटीबी	सेंट्रल इंडियन आदिवासी बेल्ट
क्लार्ट	कम्पोजिट लैंड रेस्टोरेशन अस्सेस्मेंट एंड ट्रीटमेंट टूल
सीलएफ	क्लस्टर लेवल फैसिलिटेटर्स
सीपीआर	कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज
सीपीआरएल	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुड्स
सीआरपी	कम्युनिटी रिसोर्स परसन
सीएस4	केस फॉर सपोर्ट
सीएसए	सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
सीएसओ	सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन्स
डीए	दिगम्बरपुर अंगीकार
डे–एनयूएलएम	दीनदयाल अन्त्योदय योजना– नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन
डीईओ	डेटा एंट्री ऑपरेटर
डीडीयू–जीकेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
डीआईसी	डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर
डीएनटी	डी–नोटिफाईड ट्राइब
डीपीआर	डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
डीआरसीएससी	डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर
ईसी	एग्जीक्यूटिव कमेटी
ईडीआईआई	इंटरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया
एफईएस	फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी
फिक्की	फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
एफआरए	फारेस्ट राइट्स एक्ट
एफवाई	फाइनेंसियल इयर
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएस	ग्राम सभा
एचएच	हाउसहोल्ड्स
एचआर	ह्यूमन रिसोर्स
आईएपी	इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान
आईएआरआई	इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट
आईसीडीएस	इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज
आईजीए	इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी
आईआईएचएमआर	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी
आइएमडी	इंडियन मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट
आईएसआरएलपी	इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट
आईडब्लूएमपी	इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम
जेएमए	जनमुक्ति अनुष्ठान
जेटीए	जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट
जेएसएलपीएस	झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी
एलएफए	लॉग फ्रेम एनालिसिस
एलएचडब्लूआरएफ	लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
एलकेपी	लोक कल्याण परिषद
एमएफपी	माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस
एमजीनरेगा	महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
एमआई सेन्सस	माइनर इरीगेशन सेन्सस
एमओआरडी	मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट
एमओयू	मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग

एमपीयूएटी	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
नाबार्ड	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
एनजीओ	नॉन गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन
एनपीएम	नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट
एनआरएचएम	नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
एनआरएलएम	नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
एनआरडीडब्लूपी	नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम
एनटी	नोमेडिक ट्राइब
एनटीएफपी	नॉन टिम्बर फारेस्ट प्रोडक्ट्स
ओएफआईडी	दी ओपेक फण्ड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
ओपीएम	ओड़िसा लाइवलीहुड्स मिशन
ओआरएमएएस	ओड़िसा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी
परहित	परहित समाज सेवी संस्था
पेसा	पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्युल्ड एरियाज) एक्ट
पीजीडब्लूएम	पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट
पीजीएससी	प्रोजेक्ट एंड ग्रान्टी सिलेक्शन कमेटी
पीएमजीएवाई	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
पीएमजे डी वाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री .षि सिंचाई योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीओपी	पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसेज
प्रदान	प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन
प्रान	प्रिजर्वेशन एंड प्रोलिफ़ेरेशन ऑफ़ रूरल रिसोर्सेज एंड नेचर
प्रसारी	राजरहट प्रसारी
पीआरआई	पंचायती राज इंस्टिट्यूशन्स
पीएसआई	पीपल्स साइंस इंस्टिट्यूट
पीवीटीजी	पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स
आरएडीपी	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
आरडीए	रुरल डेवलपमेंट एसोसिएशन
आरएफपी	रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरएम	रिसोर्स मोबिलाइजेशन
आरसेटी	रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
एससी	शेड्यूल्ड कास्ट
सेवा	सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस
एसएचजी	सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
एसएलडब्लूएम	सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट
एसआरआई	सिस्टम ऑफ़ राइस इन्टेन्सीफिकेशन
सृजन	सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शन
एसआरएलएम	स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन
एसएसएस	श्रमिक शक्ति संगठन
एसटी	शेड्यूल्ड ट्राइब
एसडब्लूआई	सिस्टम ऑफ़ व्हीट इन्टेन्सीफिकेशन
टीडीआर	ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट
टीडीएस	टोटल डिसौलव्ड सॉलिड
टीएसपी	ट्राइबल सब प्लान्स
टीएसआरडी	टैगोर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट
यूएनडीपी	यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम
वीआरपी	विलेज रिसोर्स परसन
वीओ	वोलंटरी आर्गेनाइजेशन
वीएसके	विकास सहयोग केंद्र
वाश	वाटर, सैनिटेशन, एंड हाइजीन
वासन	वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क
डब्लूओएनसी	वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कंसोर्शियम
वाईसीडीए	यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स

1
बीआरएलएफ के बारे में

पृष्ठभूमि 8
हमारी विधा 9
बीआरएलएफ की मूल्य संकल्पना 11
बीआरएलएफ की सुशासन व्यवस्था 12
बीआरएलएफ का संगठनात्मक ढांचा 13
पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता 13
बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार 14

पृष्ठभूमि

बीआरएलएफ एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी स्थापना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा (संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत) सरकार एवं नागरिक सामाजिक संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है। बीआरएलएफ का मुख्य उद्देश्य नागरिक सामाजिक संगठनों, भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ समन्वयन करते हुए ग्रामीण भारत, विशेषकर मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों को सशक्त करना, निर्धन समुदायों के जीवन में सुधार लाना, और सरकार व भारतीय लोकतंत्र में उनके विश्वास को मजबूत करना है।

बीआरएलएफ के विचार को सर्वप्रथम वित्त मंत्री के केन्द्रीय बजट भाषण (2012–2013) के खंड 111 में प्रस्तावित किया गया था:

"आजीविका के माध्यम से भारत रूरल लाइवलीहुडस फाउंडेशन की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। यह फाउंडेशन आदिवासी बाहुल्य के 170 जिलों में विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा अनूठे कार्यों एवं कार्यक्रमों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करेगी। निजी न्यासों और परोपकारी संस्थाओं को इस स्वायत्त इकाई के साथ भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिसका प्रबंधन पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।"

इस घोषणा के पश्चात् 3 सितम्बर 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन करने, सरकार की मुख्य योजनाओं के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने, और जनजातीय समुदायों के मध्य पैदा हो रहे अलगाव के भाव को समाप्त करके भारतीय लोकतंत्र और सुशासन के ढांचे पर पुनर्विश्वास निर्माण करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में बीआरएलएफ के गठन का निर्णय लिया गया था।

झारखंड की जनजातीय महिला नेता सतत कृषि आंदोलन में महारत हासिल करते हुए

12 जनवरी 2014 को बीआरएलएफ और ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की राशि को बीआरएलएफ की कार्पस निधि के तौर पर मुहैया कराना तय किया गया। इस कार्पस निधि को वित्त कमेटी (व्यय) द्वारा निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए दो किश्तों में उपलब्ध कराया जायेगा। 200 करोड़ रूपये की पहली किश्त जारी की जा चुकी है। इस कार्पस निधि के अतिरिक्त सम्बंधित राज्य सरकारों एवं परोपकारी संस्थाओं से भी राशि जुटाई जाएगी। बीआरएलएफ द्वारा सहयोग प्रदत्त हर परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, बैंकों, राष्ट्रीय और राज्यीय ग्रामीण विकास व आजीविका कार्यक्रमों/योजनाओं से फण्ड जुटाती है।

बीआरएलएफ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत, विशेषकर मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों को सशक्त करना और निर्धन समुदायों के जीवन में सुधार लाना है।

बीआरएलएफ का मुख्य कार्यवाहक क्षेत्र मध्य भारत आदिवासी क्षेत्र है जोकि देश के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्रों में से एक है और देश की कुल आदिवासी जनसंख्या की 81% जनसंख्या का निवास स्थान है। इसके तहत कम से कम 20% अनुसूचित जनजाति वाले ब्लाक/तहसीलें/तालुका/मंडल सम्मिलित हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 190 जिलों के 1,077 विकास खण्ड बीआरएलएफ के प्रमुख भौगोलिक कार्यक्षेत्र हैं।

बीआरएलएफ के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है गरिमापूर्ण व स्थायी आजीविका के अवसरों को प्रोन्नत करना, संसाधनों तक लोगों की पहुँच को और उनपर उनके नियंत्रण को बढ़ावा देना; उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करने/दोहन करने की क्षमता को बढ़ाना; ज़िम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासनिक एवं स्व–शासित संस्थाओं को खड़ा करना; मांग–आधारित सेवा आपूर्ति और मानकपूर्ण सेवाओं वाली मज़बूत और प्रभावी व्यवस्था का निर्माण; आदिवासी युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए नवीन अवसर पैदा करना इत्यादि है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि ज़मीनी स्तर पर मौजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूतीकरण करते हुए कार्यक्रम परिव्यय और परिणामों के मध्य अंतर को कम किया जाये; कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, संसाधनों की अपव्ययता को कम करना, और मध्य भारत के अशांत एवं असुरक्षित क्षेत्रों में विकास और शांति के लिए नवाचार युक्त समावेशित विकास की रणनीति को अपनाने की दिशा में काम किया जाये। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि समावेशित विकास के मॉडल और पुख्ता परिणामों को सरकार और नागरिक सामाजिक संगठनों की असरदार साझेदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

बीआरएलएफ उन सभी प्रकार के हस्तक्षेपों को सहयोग करता है जो ग्रामीण निर्धनों, विशेष रूप से आदिवासियों के जीवन को रूपांतरित करने की

पश्चिम बंगाल नियोजन 2017–18 के तहत जल संग्रहण संरचनाओं हेतु खुदाई

दिशा में निर्देशित हैं, और फिर उन हस्तक्षेपों का विस्तार करना जोकि अंतर्वस्तु और रणनीति के संदर्भ में अभिनव हैं। ये नवाचार प्रौद्योगिकी, सामाजिक मोबिलाइजेशन, स्थानीय संस्था निर्माण, साझेदारी का ढांचा और प्रबंधन तकनीकों आदि से संबंधित हो सकते हैं।

रणनीतिक तौर पर, बीआरएलएफ द्वारा सहयोग प्रदत्त हर परियोजना बैंकों, केन्द्रीय सरकार की योजनाओं जैसे; मनरेगा, एकीकृत कार्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, और ट्राइबल सब–प्लान के तहत जमीनी स्तर पर मुहैया कराये जा रहे विशाल संसाधनों का लाभ प्राप्त कर रही है।

बीआरएलएफ सिविल सोसायटी सगठनों को इन सरकारी योजनाओं से फण्ड प्राप्त करने में मदद करता है और क्षेत्र की दुश्कर परिस्थितियों को देखते हुए इस हेतु साझेदार संस्थाओं को आवश्यक पहचान/वैधता भी प्रदान करती है। बीआरएलएफ साझेदार संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनकी परियोजना रूपरेखा इस प्रकार की हो जिसमें सरकार, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक रीति वाले प्रारूप में कार्य किया जाये। इस दिशा में बीआरएलएफ का क्षमता निर्माण कार्यक्रम सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, और समुदायों के विकास हस्तक्षेपों को समर्थन प्रदान करने के लिए विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों का एक दल तैयार करता है। सरकार से फण्ड जुटाने के अतिरिक्त साझेदार संस्थाओं को परियोजना लागत का कुछ अंश अपने स्वयं के स्रोतों व अन्य स्रोतों से भी जुटाना होता है। साथ ही, यह भी निर्धारित रहता है कि प्रशासनिक मदों पर एक अनुपात में ही व्यय किये जाये (पेशेवर कार्यकर्ताओं के वेतन के अतिरिक्त)।

बीआरएलएफ का क्षमता निर्माण कार्यक्रम सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, और समुदायों के विकास हस्तक्षेपों को समर्थन प्रदान करने के लिए विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवरों का एक दल तैयार करता है।

बीआरएलएफ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन स्तंभों के प्रारूप में रणनीतिक कार्य व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

समावेशी विकास की संकल्पना हेतु कार्य करने के लिए राज्य और नागरिक सामाजिक संगठनों के मध्य साझेदारी की मुखरित संभावनाएं

विकास मुद्दों पर कार्य करने वाले व्यवहारकर्ताओं, अकादमिक संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ मिल कर जमीनी स्तर पर क्षमता–रिक्तता संबंधी चुनौतियों को हल करना।

क्षमता निर्माण

विकास के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

सरकारी कार्यकारियों, चयनित प्रतिनिधियों और नागरिक सामाजिक संगठनों का क्षमतावर्धन।

बीआरएलएफ साझेदारों और व्यवहारकर्ताओं के लिए सीखने के सहभागी मंचों को उपलब्ध कराना।

वितीय और तकनीकी सहयोग से, विशेषकर मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में सिविल सोसायटी के पारिस्थितिकी–तंत्र को मजबूत करना।

साझेदारी के जरिये सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के परिणामों में सुधार लाना।

अनुदान सहयोग

नागरिक सामाजिक संगठनों की मानव संसाधन और संस्थागत लागत।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सम्बन्धी सिद्ध हस्तक्षेपों का विस्तार करना।

नवाचार हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं।

लघु नागरिक सामाजिक संगठनों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण।

नागरिक सामाजिक संगठनों और राज्यीय संस्थाओं के मध्य समावेशित व्यवहार

ज्ञान का विकास एवं प्रसार।

बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा जमीनी स्तर पर उपजे ज्ञान से सीख प्राप्त करना।

शोध एवं ज्ञान केंद्र

प्रमुख कार्यक्रमों पर आधारित शोध अध्ययन एवं नीति पत्र।

नवाचारी प्रायोगिक परियोजनाओं एवं श्रेष्ठ व्यवहारों पर आधारित व्यक्तिगत–अध्ययन।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सम्बन्धी प्रकाशित लेख आदि एवं नीति पत्र।

फेलोशिप एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम

बीआरएलएफ की मूल्य संकल्पना

बीआरएलएफ निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण विकास और आजीविका क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन का लक्ष्य रखता है:

- आजीविका सुरक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री के पहल–प्रयासों को सहयोग करना
- प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में सुधार लाना
- ग्रामीणों की आजीविका स्थितियों में सुधार हेतु नवाचार प्रेरित करना
- सहभागी भू–जल प्रबंधन
- गैर–कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन पद्धति को आगे लाना
- लघुवनोपज एवं फसलों हेतु मूल्य–श्रंखला विकसित करना
- सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रों में और विशेष रूप से अति कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कार्य करना
- ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन
- लघु सामुदायिक संगठनों का क्षमतावर्धन
- राज्यों को गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी हेतु अवसर प्रदान करना
- गैर–सरकारी संस्थाओं को सहयोग में पारदर्शिता का पालन करना

बीआरएलएफ अपनी साझेदार संस्थाओं के साथ सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए निकटता से कार्यरत है। परिणामस्वरूप, सभी साझेदार संगठनों के लिए प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गैर कीटनाशक कृषि प्रबंधन, एवं सहभागी भू जल प्रबंधन आदि योजनाओं हेतु कार्य करना परम आवश्यक है।

अपेक्षित परिणाम

लोगों के लिए

- गरिमामय स्थायी आजीविका
- संसाधनों तक बढ़ती पहुँच और उनपर नियंत्रण
- संसाधनों को उपयोग करने की बढ़ती क्षमताएं
- ज़िम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासनिक एवं स्व–शासित संस्थायें
- सरकारी कार्यक्रमों का बेहतर निष्पादन
- उत्पादों और बाज़ारों तक बढ़ती पहुँच और प्रभाव्यता
- सूचनाओं तक बढ़ती पहुँच और गतिशीलता
- मज़बूत और प्रभावी मांग–आधारित सेवा और सेवाओं के मानकों का निर्माण
- युवाओं हेतु नवीन अवसर

राज्यों के लिए

- कार्यक्रम परिव्यय और परिणामों के मध्य घटता अंतर
- अत्यधिक समावेशित वृद्धि
- सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में बेहतर गुणवत्ता
- संसाधनों की अपव्ययता में कमी
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्षमताओं, व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं के संदर्भ में ज़मीनी स्तर पर मज़बूत मौजूदगी
- अशांत व असुरक्षित क्षेत्रों में शांति स्थापना

नागरिक सामाजिक संगठनों के लिए

- नवाचारों और विस्तारण के लिए पर्याप्त और समयबद्ध सहयोग
- सरकार और बैंकों से फण्ड प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रबंध
- राज्य और बाज़ार–आधारित संस्थाओं के साथ टिकाऊ साझेदारी
- स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद करने और समुदाय के अधिकारों व हकों तक उनकी पहुँच को सुगम करने हेतु विधि–संगत मंच
- निर्दिष्ट क्षेत्रों में नागरिक सामाजिक संगठनों की मजबूत मौजूदगी
- पेशेवर मानव–संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता

निजी–क्षेत्रों की संस्थाएं जो परोपकारी कार्यों में जुटीं हैं

- कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं का बेहतर सामर्थ्य
- निवेश का वृहत्तर उपयोग। सरकारी कार्यक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों के साथ समावेशन
- विश्वसनीय नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी से बढ़ती पहुँच

बीआरएलएफ की सुशासन व्यवस्था

बीआरएलएफ. की साधारण सभा और कार्यकारिणी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, अकादमिक संस्थाओं, नागरिक संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों और परोपकारी संगठनों के चुनिन्दा प्रतिनिधि जो अपने–अपने क्षेत्रों में सफल रहे हैं व बीआरएलएफ. के उद्देश्यों के प्रति जिनकी समझ और निष्ठा है, आदि सम्मिलित हैं।

बीआरएलएफ के शासकीय ढांचे को इस प्रकार बनाया गया है कि मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इस दृष्टि से परियोजनाओं के लिए अनुदानित संस्था के चयन के स्तर पर राज्य सरकार की निर्णायक भागीदारी रहती है। सभी सम्बंधित राज्य सरकारें परियोजना अनुदानित संस्था चयन समिति (पीजीएससी) की सदस्य हैं व उन्हें समिति की सभी बैठकों में भाग लेने हेतु विधिवत आमंत्रित किया जाता है। अप्रैल 2018 तक इस समिति की तीन बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। राज्य विशेष साझेदारी विकसित करने के लिए बीआरएलएफ द्वारा पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओड़िसा राज्यों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं।

बीआरएलएफ द्वारा अपनी नियमावली के अनुसार अपेक्षित वार्षिक साधारण–सभा व कार्यकारिणी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करायी जाती हैं। बीआरएलएफ की स्थापना से लेकर अब तक पांच वार्षिक साधारण–सभा तथा पंद्रह कार्यकारिणी बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। वार्षिक साधारण–सभा बैठकें क्रमशः 4 अप्रैल 2014 , 15 जून 2015, 23 जून 2016, 23 जनवरी 2017, और 26 जुलाई 2017 में आयोजित की गयीं। कार्यकारिणी की बैठकों में अब तक तीन 2014–15 में, तीन 2015–16 में, चार बैठकें 2016–17 में, और तीन बैठकें 2017–18 (26 जुलाई 2017; 25 अक्टूबर 2017; और 26 मार्च 2018) में विधिवत् सम्पन्न हो चुकी हैं।

बीआरएलएफ के शासकीय ढांचे को इस प्रकार बनाया गया है कि मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकारों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इस दृष्टि से परियोजनाओं के लिए अनुदानित संस्था के चयन के स्तर पर राज्य सरकार की निर्णायक भागीदारी रहती है

बीआरएलएफ बोर्ड की शासन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है जिसमें वित्त और अंकेक्षण कमेटी, क्षमता–निर्माण समिति, संसाधन जुटाने हेतु समिति, अधिसूचित/विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां संबंधी समिति तथा मानव संसाधन समिति आदि हैं।

बीआरएलएफ बोर्ड मीटिंग 2017–18

बीआरएलएफ का संगठनात्मक ढांचा

बीआरएलएफ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नेतृत्व व विभिन्न पेशेवर व्यक्तियों, सेक्टर विशेषज्ञों व तकनीकि स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

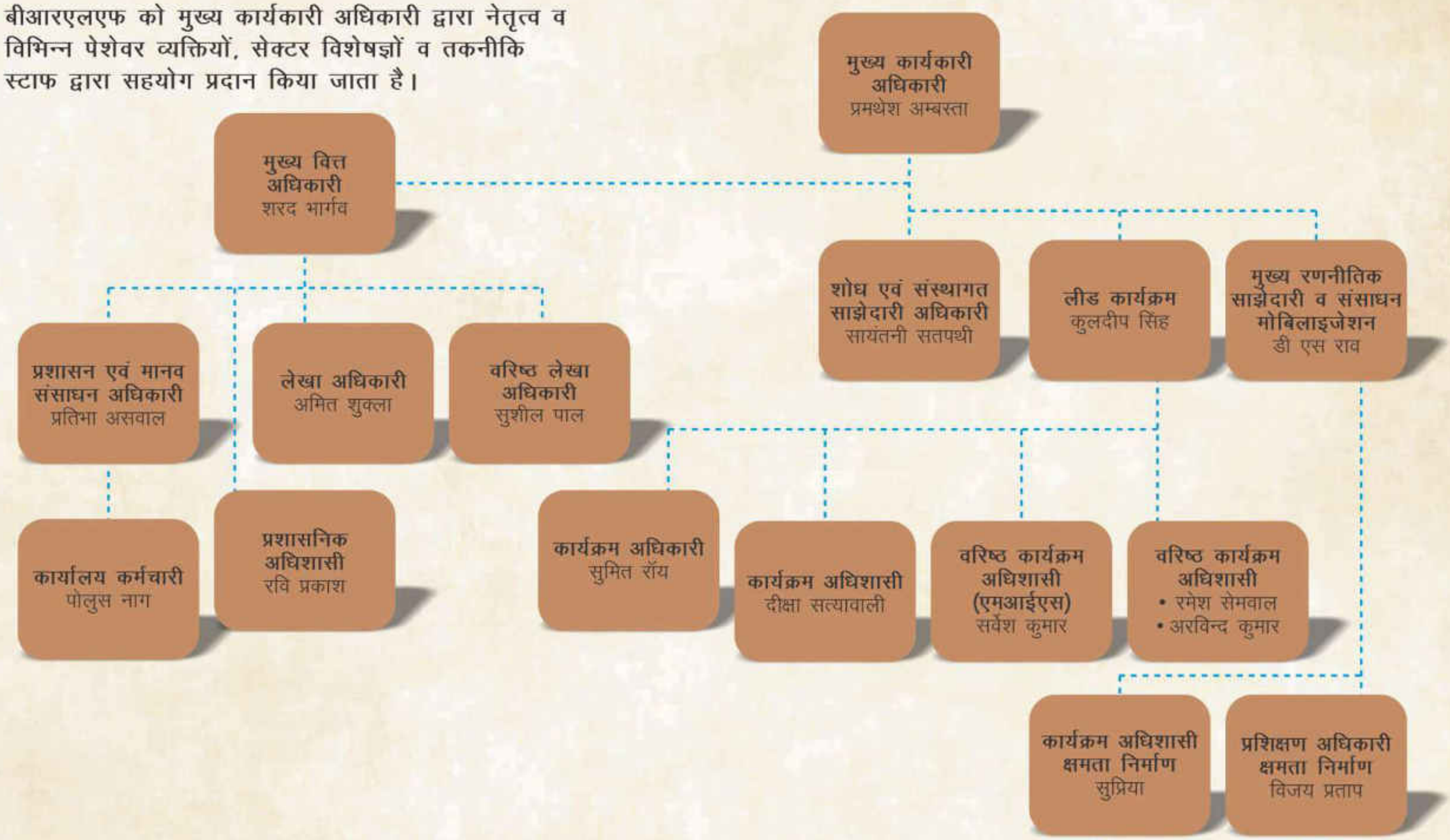

पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता

पारदर्शिता और जवाबदेहिता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से बीआरएलएफ ने अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्टों और अंकेक्षित लेखों का विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने लेखों और गतिविधियों को पूर्णतया सर्व–सुलभ किया है। परियोजनाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बीआरएलएफ ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस के साथ मिलकर AID–360 नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। AID–360 अनुदान प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है जो कि सम्बंधित स्टेकहोल्डर को बीआरएलएफ को प्रस्तुत किये गए/प्राप्त किये गए परियोजना प्रस्तावों की प्रगति स्थिति पर नज़र रखने का अवसर प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से बीआरएलएफ परियोजना विकास और प्रबंधन प्रक्रियाओं का, शुरू से लेकर अंत तक, सतत अवलोकन कर सकता है। परियोजना में किसी भी प्रकार की देरी होने पर यह सॉफ्टवेयर स्वतः ही परियोजना गतिविधि को समय पर और प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की चेतावनी जारी कर देता है। इस प्रकार के मंच की इन्टरनेट पर उपस्थिति (विषयों को डाउनलोड करने की व्यवस्था के साथ) ने सभी सम्बंधित स्टेकहोल्डरों की पहुंच और जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया है।

बीआरएलएफ द्वारा अपनी समस्त सूचनाओं को 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत उपलब्ध कराया गया है। दिसम्बर 2017 में भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बीआरएलएफ के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के लेखों एवं व्ययों का अंकेक्षण किया गया है।

बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार

वर्तमान में बीआरएलएफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िसा और पश्चिम बंगाल में आजीविका परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में बीआरएलएफ द्वारा 34 सिविल सोसायटी संगठनों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है जोकि आठ राज्यों – गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िसा और पश्चिम बंगाल के 59 जिलों, 128 ब्लाक, और 1,653 ग्राम पंचायतों के 5,912 गांवों में कार्यरत हैं।

34
सीएसओ

5,912
गाँव

1,653
जीपी

128
ब्लॉक

59
जिले

8
राज्य

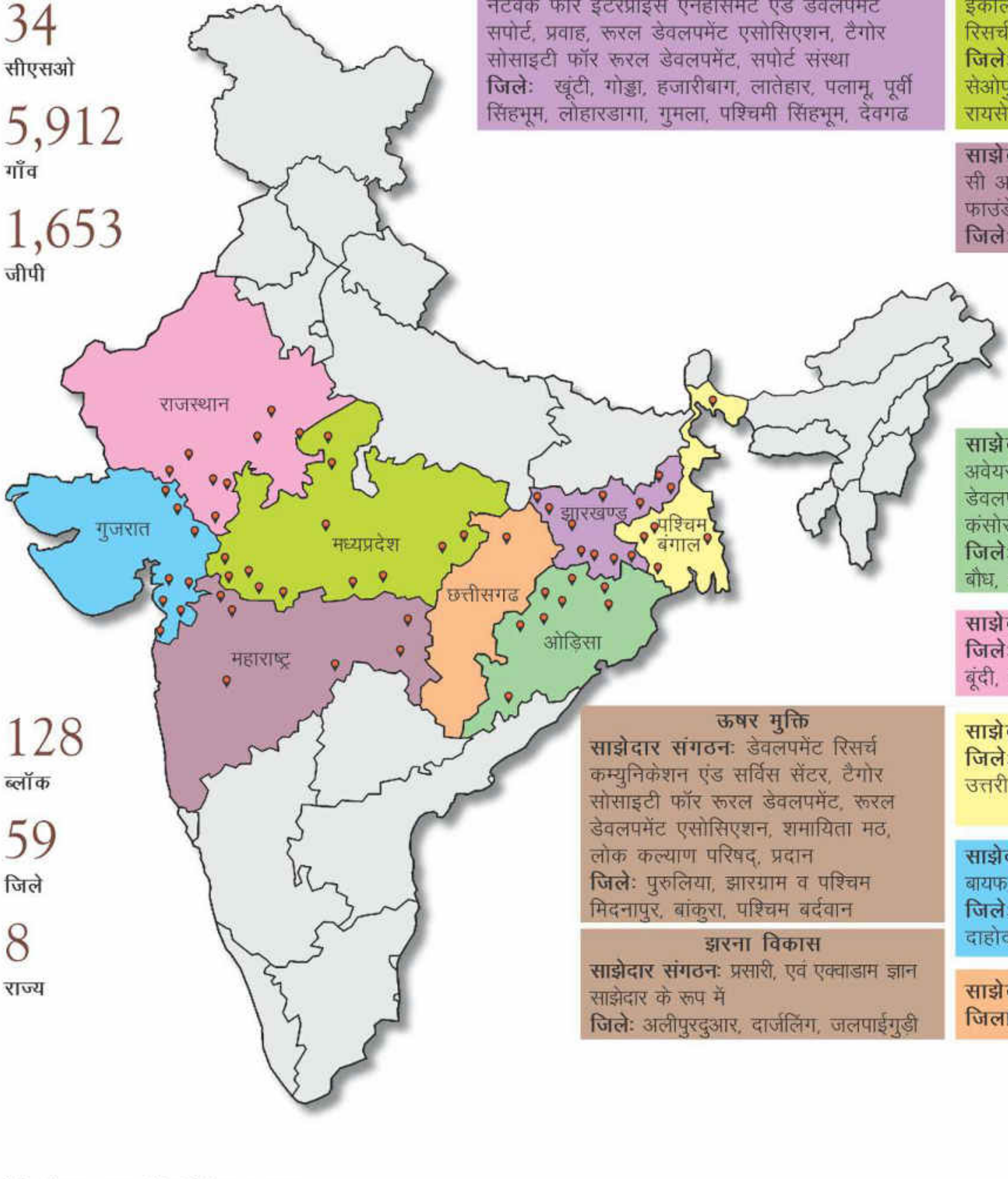

साझेदार संगठनः बायफ, प्रदान, विकास सहयोग केंद्र, एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, नव भारत जागृति केंद्र, नेटवर्क फॉर इंटरप्राइस एनहांसमेंट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, प्रवाह, रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट संस्था
जिलेः खूंटी, गोड्डा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, लोहारडागा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, देवगढ

साझेदार संगठनः आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया, बायफ, परहित, सृजन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी, लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
जिलेः बरवानी, धार, खारगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बेतूल, सेओपुर, गुना, शिवपुरी, मंडला, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, रायसेन

साझेदार संगठनः बायफ, सृजन, एफईएस, एसआईईडी, सी आई एन आई, लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
जिलेः गडचिरोली, नंदुरबार, यवतमाल, धूले, पुणे

साझेदार संगठनः सोशल एजुकेशन फॉर वीमेन अवेयरनेस, सृजन, एफईएस, यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, वेस्टर्न ओड़िसा नरेगा कंसोरशियम, श्रिस्टी, प्रदान
जिलेः झारसुगुड़ा, संबलपुर, अंगुल, कोरापुट, बोलांगीर, बौध, नुआपाड़ा, कोंझार

साझेदार संगठनः प्रदान, बायफ, एफईएस, सृजन
जिलेः सिरोही, बांसवाडा, उदयपुर, पाली, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक

ऊषर मुक्ति
साझेदार संगठनः डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर, टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, शमायिता मठ, लोक कल्याण परिषद्, प्रदान
जिलेः पुरुलिया, झारग्राम व पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, पश्चिम बर्दवान

साझेदार संगठनः प्रदान, दिगम्बरपुर अंगीकार, प्रसारी
जिलेः बंकुरा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, उत्तरी 24 परगना

झरना विकास
साझेदार संगठनः प्रसारी, एवं एक्वाडाम ज्ञान साझेदार के रूप में
जिलेः अलीपुरदुआर, दार्जलिंग, जलपाईगुड़ी

साझेदार संगठन : आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया, बायफ, एफईएस, एनएम सद्गुरु फाउंडेशन, विकसत
जिलेः डांग, व्यारा/तापी, नवसारी, वलसाड़, महीसागर, दाहोद, साबरकांठा, सूरत

साझेदार संगठनः सृजन
जिलाः कोरिया

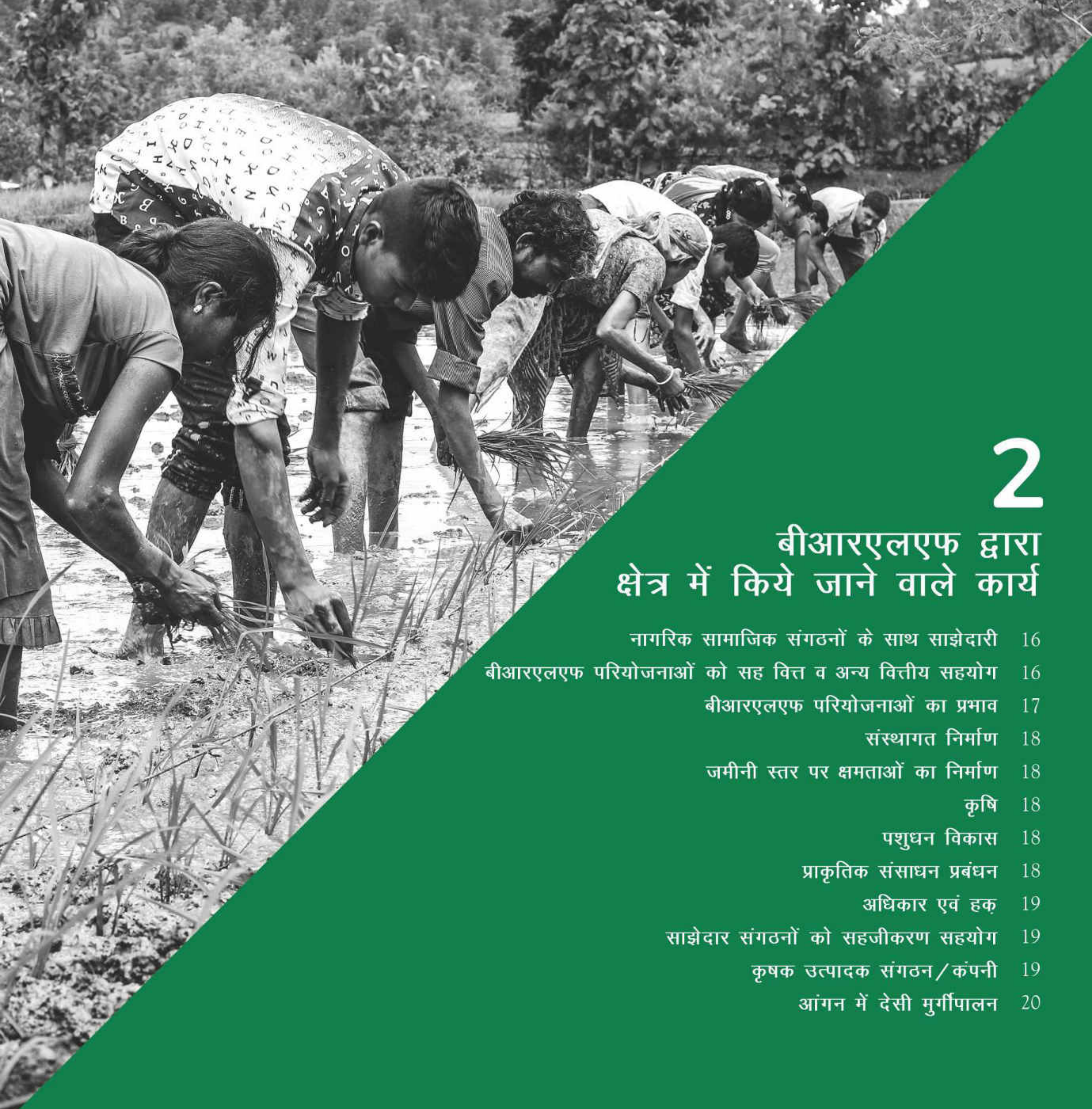

2

बीआरएलएफ द्वारा क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य

नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी 16
बीआरएलएफ परियोजनाओं को सह वित्त व अन्य वित्तीय सहयोग 16
बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव 17
संस्थागत निर्माण 18
जमीनी स्तर पर क्षमताओं का निर्माण 18
कृषि 18
पशुधन विकास 18
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 18
अधिकार एवं हक़ 19
साझेदार संगठनों को सहजीकरण सहयोग 19
कृषक उत्पादक संगठन/कंपनी 19
आंगन में देसी मुर्गीपालन 20

नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी

सरकार के साथ नागरिक सामाजिक संगठनों की साझेदारी को विस्तार देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बीआरएलएफ साझेदार संगठनों को अनुदान सहयोग प्रदान करता है जिनका कि विस्तारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाता है। परियोजना अनुदान चयन समिति साझेदार संगठानों हेतु अंतिम औपचारिक सहमति प्रदान करती है। समिति प्रत्येक उस प्रस्ताव का जोकि कार्यक्रम (दस्तावेज आधारित मूल्यांकन व क्षेत्रजन्य समीक्षा) व वित्तीय दोनों दृष्टिकोणों से परखे जा चुके होते हैं, के संबंध में आकलन करती है व अनुदान स्वीकृति के बारे में निर्णय लेती है।

अप्रैल 2014 में सबसे पहले प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया था जिसमें नागरिक सामाजिक संगठनों को मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। पहली बार में परियोजना अनुदान चयन समिति व अधिशासी सभा ने 127 प्रस्तावों में से 34 नागरिक सामाजिक संगठनों को फण्ड उपलब्ध कराने व सहजीकरण सहयोग हेतु चयन किया गया।

सितम्बर 2017 में प्रस्तावों के दूसरे चरण में आजीविका परियोजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगे नवीन सामाजिक संगठनों को फण्ड व सहजीकरण सहयोग प्रदान करने हेतु प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया। इस चरण में 180 प्रस्ताव आये जिसमें से 20 प्रस्तावों को 'अनुदान पूर्व मूल्यांकन प्रक्रिया' हेतु चयन किया गया। अंततः

सरकार के साथ नागरिक सामाजिक संगठनों की साझेदारी को विस्तार देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बीआरएलएफ साझेदार संगठनों को अनुदान सहयोग प्रदान करता है जिनका कि विस्तारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाता है।

दूसरे चरण में परियोजना अनुदान चयन समिति द्वारा बीआरएलएफ सहयोग उपलब्ध कराने हेतु 10 नागरिक सामाजिक संगठनों का अंतिम चयन किया गया।

बीआरएलएफ परियोजनाओं को सह वित्त व अन्य वित्तीय सहयोग

बीआरएलएफ द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं हेतु पांच वर्ष के लिए लगभग 67 करोड़ रुपए निर्धारित किये गए हैं। 34 साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा पिछले वित्त वर्ष (2016–17) से 31 करोड़ रुपए के साथ– साथ चालू वित्त वर्ष (2017–18) में 102 करोड़ रुपए का सह वित्त जुटाया गया। सह वित्त से तात्पर्य दानदाताओं, परोपकारियों, व्यक्तिगत सहयोगकर्ता, सीएसआर फंडिंग, सरकारी कार्यक्रमों, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों (जैसे कि नाबार्ड) आदि से जुटाए गए वित्तीय संसाधनों से है। सह वित्त के जरिये से जुटाया गया फण्ड अनुदानित साझेदार संगठन के लेखों में शामिल होता है। सह वित्त द्वारा जुटाए गए संसाधन की बीआरएलएफ परियोजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों, भौगोलिक क्षेत्रों और समयकाल हेतु आवश्यकता होती है। सह वित्त को मानव संसाधन, विहिन्न संचालनों, क्षमता निर्माण लागत, प्रायोगिक परियोजनाओं और कार्यक्रम लागत हेतु निश्चित

बीआरएलएफ परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग

साझेदार संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (करोड़ में)
प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN)	23.53	13.74
बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन (BAIF)	23.99	20.72
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया (AKRSPI)	9.33	1.58
सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन (SRIJAN)	17.15	8.05
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES)	8.71	12.27
मुख्य भागीदार– परहित समाज सेवी संस्था	19.38	1.94
सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस (SEWA)	1.59	3.77

साझेदार संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17 (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (करोड़ में)
यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (YCDA)	.92	1.48
दिगम्बरपुर अंगीकार (DA)	.06	1.03
लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन (LHWRF)	5.71	2.05
राजरहट प्रसारी (PRASARI)	4.17	3.20
विकास सहयोग केंद्र (VSK)	3.85	4.59
मुख्य भागीदार दृ लोकदृष्टि (वेस्टर्न ओड़िसा नरेगा कंसोरशियम)	7.62	7.30
कुल	**147.87**	**81.72**

किया जा सकता है। जैसा भी हो, अनुदानित संगठन को सह वित्त संबंधी आंकड़ों को दो मदों के तहत दर्ज करना होगा: (1) मानव संसाधन, संचालन, प्रशासनिक, क्षमता निर्माण एवं प्रायोगिक परियोजनाएँ, और (2) कार्यक्रम लागतें – मानव संसाधन, संचालन, प्रशासनिक, क्षमता निर्माण एवं प्रायोगिक परियोजना संबंधी कुल लागत की 80% लागत को ही बीआरएलएफ द्वारा वहन किया जायेगा। शेष लागत (20%) को अनुदानित संस्था द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं बंदोबस्त करना होगा। बीआरएलएफ द्वारा फण्ड के अनुपात में प्रशासनिक खर्चों हेतु 20% व्यय की सीमा का निर्धारण किया गया है। बीआरएलएफ अनुदान में कार्यक्रम लागतें शामिल नहीं हैं।

अन्य वित्तीय सहयोग से आशय अनुदानित संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूह, बैंकों, और सरकारी प्रमुख योजनाओं (जैसे कि मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, एकीकृत कार्ययोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वर्षाजन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, और जनजातीय विकास कार्यक्रम), ग्राम पंचायत और समुदाय से जुटाए गए संसाधनों से है। इन स्रोतों से प्राप्त राशि अनुदानित संगठन के लेखों में शामिल नहीं होती है।

बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव

बीआरएलएफ नागरिक सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहयोग प्रदान करता है जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों, विशेषकर आदिवासियों के जीवन रूपांतरण में विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिये मदद की जा सके जिसमें मुख्य तौर पर संस्था और क्षमता निर्माण, अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करना, और कृषि, पशुधन व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में गतिविधियों के माध्यम से आजीविका अवसरों को बढ़ाना सम्मिलित हैं। चालू वित्तीय वर्ष में (2017–18) बीआरएलएफ ने अपने साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों के माध्यम से 59 जिलों के 128 विकास खण्ड, और 1,653 ग्राम पंचायतों के 5,912 गांवों में कार्य करते हुए 533,245, परिवारों को लाभान्वित किया है

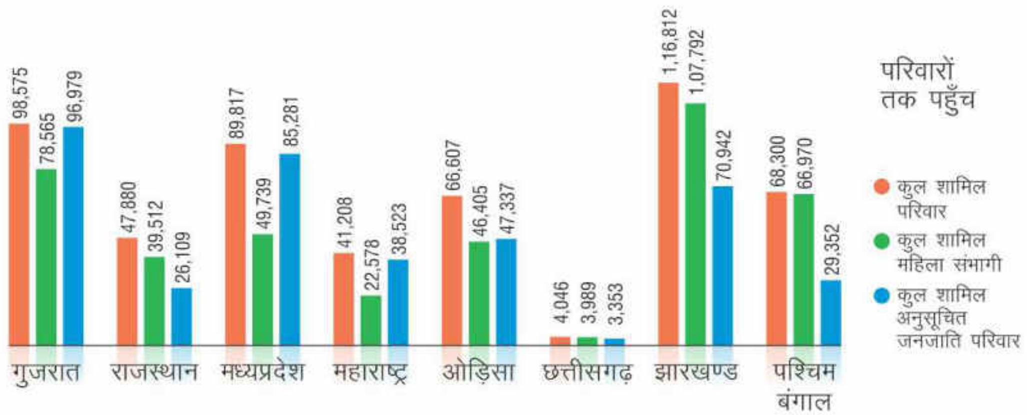

533245
एचएच

397858
एसटी एचएच

415550
महिलाएँ

जिसमें से 397,862 (75:) परिवार जनजातीय परिवार हैं।

संस्थागत निर्माण

बीआरएलएफ मध्य भारत के आदिवासियों के सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करने हेतु साझेदार संगठनों के साथ मिलकर काम करता है जिससे कि स्वयं सहायता और आपसी सहयोग के आधार पर सामूहिक कार्यवाहियों के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके। संस्था निर्माण संबंधी प्रयासों में बीआरएलएफ साझेदार संगठन स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तरीय संस्था/ समुदाय आधारित संगठन, और कृषक उत्पादक संगठन आदि का निर्माण निरंतर बनाये हुए हैं।

- गठित स्वयं सहायता समूह : 31,146
- गठित समूहों में सदस्यों की कुल संख्या : 362,321
- अनुसूचित जनजाति सदस्यों की कुल संख्याः 240,579
- बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों से समूहों द्वारा जुटायी गयी राशिः 4.4 करोड़ रुपए
- नवीन उद्यम शुरू करने वाले परिवारों की संख्या : 9,305
- ग्राम आधारित संस्था/ समुदाय आधारित संगठन गठन : 5,122
- ग्राम आधारित संस्था/ समुदाय आधारित संगठन में कुल सदस्य संख्या : 224,233
- कृषक उत्पादक संगठनों की कुल संख्या : 96
- कृषक उत्पादक संगठनों के कुल सदस्यों की संख्या : 32,251

जमीनी स्तर पर क्षमताओं का निर्माण

बीआरएलएफ का मानना है कि जमीनी स्तर पर क्षमताओं का होना, गुणवत्तापरक परिणाम प्राप्त करने और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों, विशेष रूप से मध्य भारत के आदिवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय है। बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों के साथ काम कर रहा है और उन्हें समुदाय व पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों में शामिल भी कर रहा है। क्षमता निर्माण गतिविधियों के तहत साझेदार संगठन कृषि, पशुधन, बागवानी, एसएचजी, सूक्ष्म उद्यम, और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण और फील्ड विजिट का आयोजन करते हैं। इन हस्तक्षेपों से सामुदायिक जुड़ाव की प्रक्रिया में लगे सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों (सीआरपी) का निर्माण और उनको सहयोग प्राप्त होता है।

- 728,607 सदस्यों मय 586,501 महिला सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया
- 7,672 सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों मय 4,295 सामुदायिक महिला संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया
- 11,964 पंचायती राज सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया
- 62,829 विषयगत प्रशिक्षण / फील्ड विजिट आयोजित किये गए

कृषि

मध्य भारत के आदिवासियों के लिए कृषि आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक मुख्य स्रोत है। इसलिए, बीआरएलएफ अपने साथी संगठनों के साथ मिलकर आदिवासियों के लिए स्थायी कृषि–आधारित आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को क्रियान्वित कर रहा है। इन हस्तक्षेपों में उन्नत कृषि व्यवहारों को अपनाना (जैसे; बेहतर बीज, बीज उपचार), बागवानी को बढ़ावा देना, धान के पंक्ति रोपण को प्रोत्साहित करना, रसोई बगिया की स्थापना करना, बेहतर दालों, तिलहन और मोटा स्थानीय अनाज की खेती में परिवारों को प्रशिक्षण देना और गैर–कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) और अन्य तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आदि सम्मिलित हैं।

- 337,811 परिवारों को उन्नत कृषि व्यवहारों हेतु प्रशिक्षित किया गया (जैसे; बेहतर बीज, किस्मों का परिवर्तन, उन्नत व्यवहारों का समुच्चय, और बीज उपचार)
- 29,909 परिवारों ने रसोई बगिया का निर्माण किया
- 34,226 परिवार बागवानी से जुड़े जिसके तहत 7,350 हेक्टर क्षेत्र में 19,121 बागवानी इकाइयों को स्थापित किया गया
- 160,839 परिवारों ने 22,586 हेक्टर क्षेत्र में उन्नत सब्जी उत्पादन आरंभ किया
- 32,708 परिवारों ने 10,545 हेक्टर क्षेत्र में गैर कीटनाशक प्रबंधन को अपनाया

पशुधन विकास

मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में विशेषकर अनुपजाऊ भूमि क्षेत्रों में आजीविका का विविधीकरण अतिरिक्त आय उत्पन्न करने और उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। गैर–कृषि आधारित आजीविका हस्तक्षेप को बढ़ाने के उद्देश्य से बीआरएलएफ द्वारा पशुधन विकास का कार्य शुरू किया गया है। साझेदार संगठन स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर घर में कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन, बकरी, डेयरी विकास इत्यादि स्थापित करने के लिए कार्यरत हैं। साझेदार संगठन टीकाकरण, फ़ीड, आश्रय और नस्ल सुधार आदि गतिविधियों के माध्यम से परिवारों की सहायता कर रहे हैं।

- 48,182 परिवारों को डेयरी विकास के तहत शामिल किया गया
- 86,436 परिवारों को बकरी पालन के तहत शामिल किया गया
- 10,149 परिवारों को मछली पालन के तहत शामिल किया गया
- 20,415 परिवारों को बैकयार्ड कुक्कुट पालन के तहत शामिल किया गया
- 131,196 परिवारों को टीकाकरण, फ़ीड, आश्रय और नस्ल सुधार आदि सहयोग प्रदान किया गया
- पशुधन विकास के तहत शामिल कुल शुद्ध परिवार –130,107

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण सीधे तौर पर निर्धनों की आजीविका और आजीविका की स्थिरता को प्रभावित करता है। विशेषकर, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में मध्य भारत के आदिवासी सर्वाधिक

प्रभावित होते हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर करते हैं। बीआरएलएफ अपनी आजीविका गतिविधियों के रूप में साझेदार संगठनों के साथ उन तमाम कार्यक्रमों पर गहनता से काम कर रहा है जो भूमि और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन पर केंद्रित हैं। इनमें मुख्यता जल संचयन संरचनाओं (जैसे, चेक बांध, नहर, तालाब) का निर्माण, बंजर भूमि विकास, कुओं का निर्माण, करना, और परिवारों को लघुवनोपज उत्पादन की मूल्य श्रृंखलाओं में परिवारों को जोड़ना आदि गतिविधियाँ शामिल हैं।

- 2,842 हेक्टर से अधिक जमीन पर पौधारोपण करते हुए 10,451 परिवारों को लाभान्वित
- 29,860 परिवार लघुवनोपज उत्पादन की मूल्य श्रृंखला से जुड़े व 167 एमएफपी केंद्र स्थापित
- 10,998 जल संचयन ढांचों का निर्माण जिससे 141,271 परिवार लाभान्वित
- 13,478 हेक्टर क्षेत्र पर भूमि विकास, जैसे मेढ़बंदी, का कार्य किया गया
- 22,865 हेक्टर क्षेत्र को सिंचाई से जोड़ा गया
- 2,951 हेक्टर परती भूमि सुधार
- 27,836 परिवारों को भूमि विकास उपायों से लाभान्वित

अधिकार एवं हक़

यह तय है कि जब तक कि धरातल पर स्थापित सुशासन संरचनाओं को मजबूत नहीं किया जाता है तब तक सरकारी निवेश से अपेक्षित परिणामों को न तो महसूस किया जाएगा और न ही आदिवासियों में इन कार्यक्रमों के प्रति उपजे अविश्वास की खाई को कम किया जा सकेगा। बीआरएलएफ "अपने पैरों पर खड़ा होने" के महत्व को भली–भांति समझता है और इसी क्रम में मानव विकास और सतत आजीविका को बढ़ाने का कार्य कर रहा है विशेषकर सीमान्त समुदायों, यथा आदिवासियों को सशक्त बनाने, विकसित करने और उनकी रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए बीआरएलएफ स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य विभिन्न सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों से जितना संभव हो उतने परिवारों को जोड़ने के लिए अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर कार्यरत है।

- 100,564 परिवारों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा गया
- 106,463 परिवारों को मनरेगा से जोड़ा गया
- 172,330 परिवारों को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ा गया
- 41,393 परिवारों को जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया
- वन अधिकार अधिनियम के तहत 2,113 दावों का निपटान करते हुए 4,492 परिवारों को लाभान्वित किया गया
- 69,170 परिवारों को सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया
- 14,070 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया
- 109,988 परिवारों को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया

साझेदार संगठनों को सहजीकरण सहयोग

बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों को एफपीओ, एसआरआई, बीवाईपी, और एनटीएफपी समेत विभिन्न आजीविका विषयों पर सहजीकरण सहयोग प्रदान करता है। चालू वित्त वर्ष (2017–18) में बीआरएलएफ ने अपने साझेदार संगठनों को क्षेत्र में पहुँच कर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बजटीय प्रावधान किए। इसकी शुरुआत बीआरएलएफ कार्यक्रम टीम के साझेदार संगठनों के साथ तकनीकी सहायता समर्थन के लिए संभावित विषयगत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए बातचीत के साथ शुरू हुई। वार्षिक समीक्षा और योजना कार्यशाला के दौरान दो ऐसे विषयगत क्षेत्र – आंगन में देसी मुर्गी पालन और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), उभर कर आये जहां साथी संस्थाओं द्वारा तकनीकी सहायता की आवश्यकता महसूस की गयी। बीआरएलएफ कार्यक्रम टीम का प्रारंभिक ध्यान छोटे साझेदार संगठनों को समर्थन प्रदान करना था, क्योंकि उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में उनका कार्य शुरुआती चरणों में था व इसलिए सम्बंधित हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास क्षमताओं और संसाधनों का अभाव था। कार्यक्रम दल यह भी सुनिश्चित करता है कि तकनीकी सहायता के लिए पहचाने गए विषयगत क्षेत्र लक्षित स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हों व कृषि प्रोत्साहन गतिविधियों को पूरक बनाने में भी महत्वपूर्ण साबित हों।

कृषक उत्पादक संगठन / कंपनी

अभी तक बीआरएलएफ समर्थित साझेदार संगठनों द्वारा 96 कृषक उत्पादक संगठन बनाने में मदद की जिनके माध्यम से 32, 251 परिवार लाभान्वित हुए। हालांकि, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों को आगे बढ़ाने के लिए, 7 साझेदार संगठनों को सहजीकरण सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई थी। इस आवश्यकता को समझते हुए बीआरएलएफ ने युवा मित्र के साथ 1 नवंबर, 2017 को एक करार किया। युवा मित्र पिछले साल से किसानों को जागरूकता कार्यक्रमों, अनुभव साझा करने, और उत्पादक संगठनों में एक्सपोजर विज़िट आयोजित

करके व किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए कृषक उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ/ एफपीसी) को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कार्यरत है। युवा मित्र, उत्पादक संगठनों के प्रचार प्रसार के लिए स्माल फार्मर्स एग्रीबिसनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए नामित संदर्भ संस्था भी है। बीआरएलएफ और युवा मित्र के मध्य साझेदारी के निम्न लक्ष्य हैं:

- 4 राज्यों में 17 कृषक उत्पादक संगठनों को सहयोग प्रदान करना जोकि विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं
- इस साझेदारी के होने से युवा मित्र, नये उभरते व कार्यरत दोनों प्रकार के कृषक उत्पादक संगठनों हेतु संस्थागत वातावरण व उनकी आवश्यकताओं का आकलन, व असंगठित कृषक समूहों के मामले में संभाव्यता और समूह गतिशीलता का आकलन करेगा
- चयनित कृषक उत्पादक संगठनों को प्रोन्नत और विकास करने के लिए रणनीतिक योजनायें व संस्थागत रूपरेखा तैयार करना
- अंततः, इसका कार्य सहजीकरण सहयोग प्रदान करना है (जैसे; सामाजिक–आर्थिक, संगठनात्मक, वैधानिक, वित्तीय और बाजार योजनायें; प्रेरकों, किसानों, व उत्पादक संगठनों के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण)। युवा मित्र द्वारा बीआरएलएफ साझेदार संगठनों के परियोजना स्थलों पर प्रशिक्षण सत्र व फील्ड विजिट पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं

आंगन में देसी मुर्गीपालन

आंगन में देसी मुर्गीपालन को ग्रामीण निर्धनों, विशेषकर मध्य भारत के आदिवासियों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत व खाद्य सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण माना गया है। चालू वित्त वर्ष (2017–18) में 20,415 परिवारों को कुक्कुट पालन गतिविधियों के तहत जोड़ा गया है। हालाँकि, जो साझेदार संगठन बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करने व क्रियान्वित करने के विभिन्न चरणों पर हैं, बीआरएलएफ ने उनमें से पश्चिमी बंगाल, ओड़िसा, झारखण्ड, और मध्यप्रदेश के सात साझेदार संगठनों को बैकयार्ड पोल्ट्री हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया।

1 नवंबर 2017 को, बीआरएलएफ ने बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण समुदायों के साथ काम कर रहे भागीदार संगठनों को सहयोग प्रदान करने के लिए वाटरशेड सपोर्ट एंड सर्विस नेटवर्क (वासन) के साथ एक करार स्थापित किया। वासन द्वारा रिवाइटलाइजिंग रेन–फेड एग्रीकल्चरल नेटवर्क (आरआरएएन) के भागीदारों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में क्लस्टर आधारित बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रमों का डिजाइन और प्रदर्शन किया जा चुका है। वासन ने बैकयार्ड पोल्ट्री पर प्रक्रिया दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाये हैं और उनके पास विशेषज्ञ मानव संसाधनों का एक दल है जिनके पास पोल्ट्री विकसित करने का अनुभव है। वासन हेतु अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:

- बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम की अवधारणा को समझने, उसे निर्मित करने, और उसको क्रियान्वित करने के लिए साझेदार संगठनों का क्षमतावर्धन करना
- सतत आजीविका के रूप में बैकयार्ड पोल्ट्री में रूचि रखने वाले सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों व उद्यमियों का प्रशिक्षण
- समुदाय मुखिया व्यक्तियों को बैकयार्ड पोल्ट्री संबंधी श्रेष्ठ व्यवहारों से अवगत कराना एवं अध्ययन भ्रमण पर ले जाना
- वेब आधारित प्रबंध सूचना तंत्र को विकसित करने में मदद करना
- सम्बंधित राज्य सरकारों के लक्ष्यों अनुसार साझेदार संगठनों को मुख्यधारा के कार्यक्रमों को विकसित व विस्तार करने में मदद करना, और प्रायोगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान साथी संगठनों को उनके क्षेत्र में पहुँच कर सहजीकरण सहयोग प्रदान करना

इस करार के बाद वासन ने परियोजना स्थलों पर बैकयार्ड पोल्ट्री की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए एक क्षेत्रीय अध्ययन किया जिसके तहत निम्न गतिविधियाँ की गयीं:

- प्रत्येक साथी संगठन के परियोजना क्षेत्र में 2–3 गांवों में गहन समूह चर्चा और 2 गावों में 20 परिवारों का बेसलाइन सर्वे
- मुख्य हितग्राहियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण
- समुदाय रूचि समूहों के महत्व, उसके फण्ड की स्थापना, और भुगतान आधारित टीकाकरण व्यवस्था आदि विषयों पर समुदाय के साथ चर्चा
- बैकयार्ड पोल्ट्री में शामिल परिवारों के लिए नीले कार्ड तैयार करना जिससे मुर्गी समूह के आकार, टीकाकरण रिकॉर्ड, मृत्यु दर, और उपभोग की स्थिति पर नजर रखी जा सके। नीले कार्ड से प्राप्त सूचनाओं को परियोजना एमआइएस पर अपलोड किया जाता है। एंड्राइड आधारित ब्लू कार्ड एप के माध्यम से परिवार आधारित प्रगति को अद्यतन देखा जा सकता है। वासन यह भी सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण संदर्भ व्यक्तियों को बैकयार्ड पोल्ट्री क्रियान्वयन में प्रशिक्षण दिया जाये, जिसमे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये:
- गांवों के एक संकुल पर चूजों की नियमित आपूर्ति के द्वारा देसी मुर्गी पालन ब्रीड फार्म स्थापित करना
- बैकयार्ड पोल्ट्री हेतु उद्यमकर्ताओं एवं स्थल के चयन हेतु मानक निर्धारित करना
- ब्रीडिंग फार्म एंटरप्राइस हेतु व्यवसाय योजना
- ब्रीडिंग फार्म एंटरप्राइस के लिए अपेक्षित आवश्यक व्यवहार
- परिवार स्तर पर रात्रि आश्रय निर्माण करना और देसी मुर्गीपालन के लिए टीकाकरण व्यवस्था करना

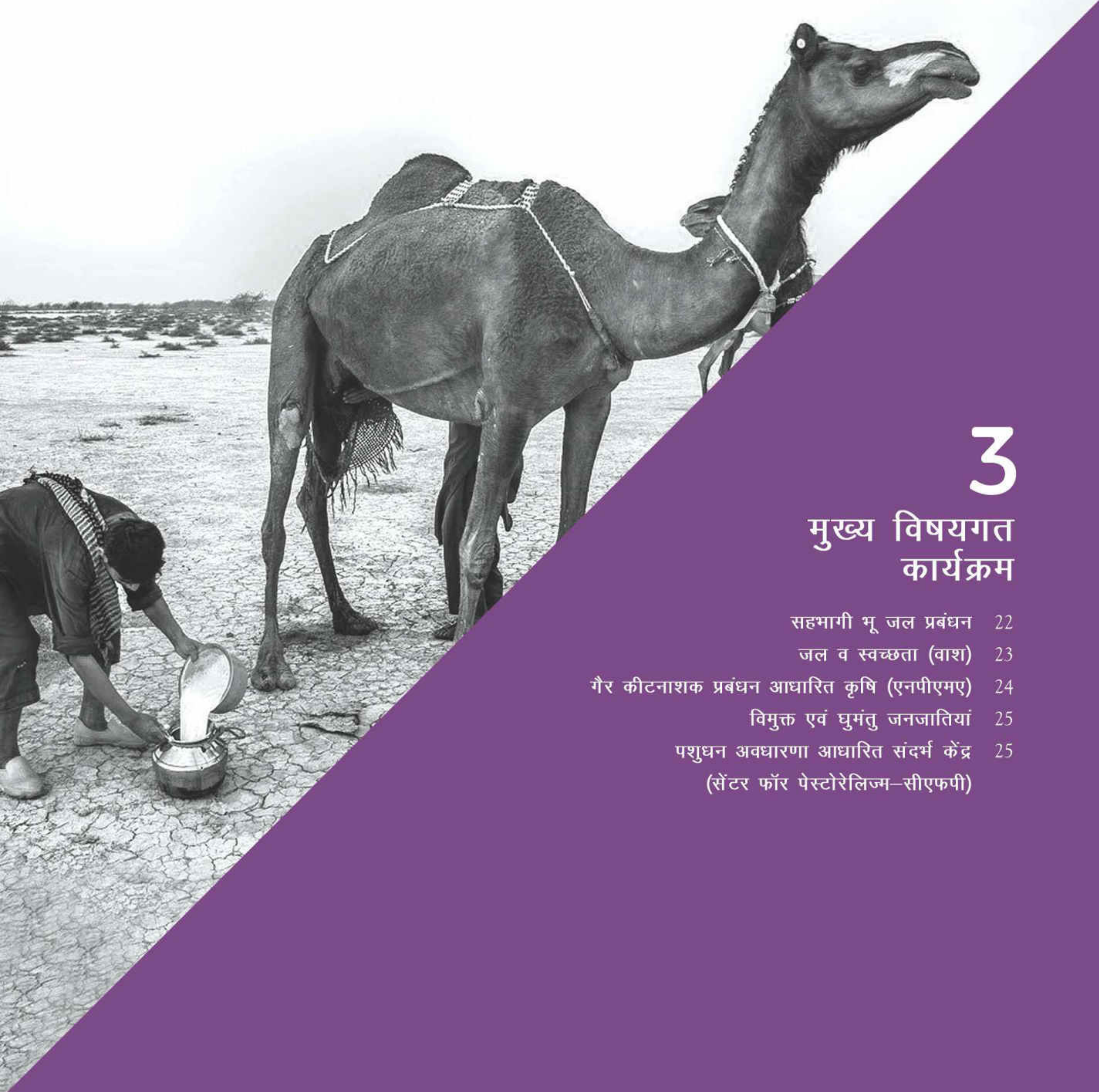

3
मुख्य विषयगत कार्यक्रम

सहभागी भू जल प्रबंधन 22

जल व स्वच्छता (वाश) 23

गैर कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि (एनपीएमए) 24

विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां 25

पशुधन अवधारणा आधारित संदर्भ केंद्र (सेंटर फॉर पेस्टोरेलिज्म–सीएफपी) 25

सहभागी भू जल प्रबंधन

एक अनुमान के अनुसार भारत में 90% ग्रामीण जल आपूर्ति और 48% शहरी जल आपूर्ति भूजल संसाधनों से ही प्राप्त की जाती है। भूजल के गिरते स्तर और उसमें बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भूजल प्रबंधन का वर्तमान दृष्टिकोण अत्यंत दोषपूर्ण है। इसलिए, भूजल प्रबंधन को समझने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें आपूर्ति संवर्धन, मांग प्रबंधन, और संसाधन–आधारित हस्तक्षेप (अब तक अपनाये गए स्रोत–आधारित दृष्टिकोण के इतर) आदि दृष्टिकोण शामिल हों। इस दृष्टिकोण से भूजल संबंधित कार्यक्रमों और जलग्रहण प्रबंधन और पेयजल व स्वच्छता जैसी सहायक परियोजनाओं में रह रहे अंतराल को कम करने में मदद करेगा। सहभागी भूजल प्रबंधन कार्यक्रम (पीजीडब्ल्यूएम) भूजल संसाधनों की आपूर्ति संवर्धन और मांग प्रबंधन को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से एकीकृत करने का एक प्रयास है। सहभागी भूजल प्रबंधन भूजल से संबंधित कार्यक्रमों और पेयजल और स्वच्छता या वाटरशेड विकास जैसी सहायक परियोजनाओं के मौजूदा अंतराल को कम करने का प्रयास करता है।

बीआरएलएफ, अपने 10 साझेदार संगठनों के साथ 7 राज्यों के 14 जिलों में 20 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर सहभागी भू जल प्रबंधन के विभिन्न हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन हेतु एक्वाडेम (एडवांसड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ACWADAM) व अन्य सहभागी भूजल प्रबंधन साझेदारों (वासन, पीएसआई और एसीटी) के साथ मिलकर काम कर रहा है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के प्रमुख घटकों में विभिन्न क्षेत्र सर्वेक्षण और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ–साथ वैज्ञानिक तरीके से भू–जलीय मैपिंग, व भू–जल के टिकाऊ उपयोग के लिए सामुदायिक निर्णयों को बनाने व उनका सहजीकरण आदि शामिल हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं का उद्देश्य घरेलू स्तर पर भूजल सुरक्षा की दिशा में समुदाय को संवेदनशील बनाना, साझेदार संगठनों, समुदाय के सदस्यों और संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण में वृद्धि करना, भूजल स्रोत और जल गुणवत्ता संबंधी वैज्ञानिक आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण करना, पानी का न्यायसंगत वितरण और फसल योजना आदि भूजल संतुलन उपायों पर सामुदायिक निर्णयों को सुगमता प्रदान करना, जलग्रहण क्षेत्र कटाई और रिचार्ज संरचनाओं व नीति सुधार और अनुसंधान आदि भौतिक हस्तक्षेपों के लिए बेहतर योजना बनाने की सुविधा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2017–18 में तकनीकी भागीदारों ने भूगर्भिक मानचित्रीकरण, हाइड्रोलॉजिकल मानचित्रीकरण, जलीय मानचित्रीकरण और वर्गीकरण, स्थानीय जल गुणवत्ता परीक्षण, भूजल निगरानी नेटवर्क की स्थापना और सामाजिक–हाइड्रोजियोलॉजिकल आंकड़ों को सामने लाने का काम किया जो कि सभी 18 प्रायोगिक परियोजना स्थलों में पूरा हो चुका है। 75% प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर भूजल संतुलन का अध्ययन और भूजल प्रबंधन योजनाओं को शुरू कर दिया गया था। कुछ स्थानों पर जल सुरक्षा (रिचार्ज) कार्यक्रम में भी सहयोग देना शुरू किया गया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के बेतुल में जल संचयन और संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए सरकारी धन को उपयोग करने के लिए वहां के जिला प्रशासन को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके सौंपी गयी। भूजल निगरानी, और भूजल स्तर के संबंध में बुनियादी विश्लेषण की समझ विकसित करने की दृष्टि से परियोजना स्थलों पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

चारों तकनीकी भागीदारों ने बीआरएलएफ साझेदार संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सभी परियोजना स्थलों पर भ्रमण जारी रखा। सभी बीआरएलएफ और सहभागी भू जल प्रबंधन भागीदारों के लिए भुवनेश्वर (5–8 दिसंबर, 2017) में एक समीक्षा और नियोजन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य परिणाम यह था कि उसमे संभागियों ने उनके पिछले अनुभवों से सीखने पर चर्चा की और आने वाले वर्ष के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान किया। सभी टीम भागीदारों द्वारा संबंधित सहभागी भू जल प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की जा चुकी है। अप्रैल 19–20, 2018 को दिल्ली में आयोजित सहभागी भू जल प्रबंधन साझेदारों की बैठक में सभी चार सहभागी भू जल प्रबंधन गतिविधियों (भूजल संतुलन, फसल–पानी बजट, रिचार्ज संरक्षण कार्यक्रम में इनपुट और भूजल प्रबंधन योजना) के लिए संभागियों द्वारा प्रपत्रों व विधाओं को अंतिम रूप प्रदान किया गया जिन्हें सभी प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर अपनाया जाना था।

झारखण्ड– शिकारी पाड़ा में मनरेगा–सीएफटी परियोजना के तहत निर्मित पानी की टंकी

जल व स्वच्छता (वाश)

इस पहल का उद्देश्य वाश कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बीआरएलएफ साझेदार संगठनों की क्रियान्वयन क्षमताओं को सुगमता और मजबूती प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से, बीआरएलएफ का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु साझेदार संगठनों को सहयोग करना है। इस पहल के तहत, साझेदार संगठन शौचालयों के निर्माण हेतु गांवों के चयन, प्रारंभिक स्थिति विश्लेषण, ग्राम स्तरीय संस्थाओं के साथ बैठकें, आईईसी सामग्री वितरण और स्थानीय संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आदि कार्य करते हैं। वर्तमान में, बीआरएलएफ साझेदार संगठन 100,000 से अधिक परिवारों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शामिल करने में कामयाब रहे हैं।

इस मिशन में सफलता अर्जित करने के लिए बीआरएलएफ ने उत्थान संस्था के साथ साझेदारी स्थापित की है। चालू वर्ष में उत्थान दस साझेदार संगठनों को स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है, जैसे कि संगठनों ने अपने परियोजना क्षेत्रों के 2–3 गाँवों में वाश की प्रायोगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा है। उत्थान के पास दस साझेदार संगठनों को वाश संबंधी हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए उनको प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन, व क्षेत्रगत सहयोग देने का उत्तरदायित्व है।

वित्तीय वर्ष (2017–18) में उत्थान द्वारा क्षेत्र स्तर पर मौजूदा चुनौतियों व अवसरों को समझने तथा आवश्यक सलाह उपलब्ध कराने हेतु साझेदार संगठनों के परियोजना स्थलों की विजिट की गयी। विजिट में संगठनों के साथ चर्चा के दौरान क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक वितरण को देखते हुए प्रदर्शन के उद्देश्य से कुछ मॉडल उभर कर आये। साझेदार संगठनों द्वारा व्यक्त रूचि बिंदु निम्नवत हैः

- पारिस्थितिक स्वच्छता तकनीक
- छत पर जल संचयन हेतु संरचना निर्माण
- ठोस एव गीला कचरा प्रबंधन

उत्थान द्वारा इन मॉडलों का प्रदर्शन किया गया जिन्हें संगठनों द्वारा बढाया जा सकता है। इन क्षेत्रीय विजिट के साथ साथ भुवनेश्वर एवं गुजरात में दक्ष प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ताकि वे अपने सम्बंधित क्षेत्रों के लिए सूचना व शिक्षण संप्रेक्षण सामग्री तैयार कर सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओड़िसा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र से 9 साझेदार संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

बीआरएलएफ साझेदार संगठन 100,000 से अधिक परिवारों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शामिल करने में कामयाब रहे हैं।

सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण प्रशिक्षण

गैर कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि (एनपीएमए)

ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से मध्य भारत के आदिवासियों के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। इनमें से अधिकतर किसान छोटे, सीमांत या पट्टे की भूमि पर काम करते हैं। अतः, बीआरएलएफ ने चालू अनुमोदित परियोजनाओं में एनपीएम को अनिवार्य घटक के रूप में जोड़ दिया गया है ताकि स्थायी कृषि, किसान की लाभप्रदता, मृदा संरक्षण, कीट और पशु जैव–विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और खाद्य और जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस उद्देश्य हेतु बीआरएलएफ ने एनपीएम के कार्यान्वयन के लिए साझेदार संगठनों के साथ मिलकर सघन रूप से काम किया। बीआरएलएफ ने दो संदर्भ संस्थाओं – सीएसए (सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हैदराबाद), और प्रान (प्रिजर्वेशन एंड प्रोलिफिरेशन ऑफ़ रूरल रिसोर्सेज एंड नेचर, गया) के साथ करार किया। ये संस्थाएं एनपीएम को लागू करने के लिए ज्ञान और सहयोग समर्थन प्रदान करती हैं। वर्तमान में, मई 2016 में 6 राज्यों में 13 साझेदार संगठनों के साथ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। प्रत्येक साझेदार संगठन द्वारा अपनी स्केल–अप योजनाएं भी तैयार की हैं ताकि उन्हें प्रायोगिक परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर लागू किया जा सके। सभी साझेदार संस्थाओं ने प्रायोगिक परियोजनाओं से आगे बढ़ कर एनपीएम के विस्तार पर विस्तृत योजना का निर्माण किया है। बीआरएलएफ एवं संदर्भ संस्थाओं द्वारा क्षमतावर्धन और बाजार संबंधी सहयोग प्रदान किया जायेगा। मौजूदा वित्त वर्ष (2017–18) में 13 बीआरएलएफ समर्थित साझेदार संगठन 4,590 हेक्टेयर क्षेत्र पर 10,245 परिवारों के मध्य एनपीएम या संरक्षण कृषि को लागू किया जा चुका है।

जीवामृत तैयार करने का प्रदर्शन

एनपीएम प्रशिक्षण के तहत कीटों की पहचान, ग्राम गर्भुधारा, मिताली ब्लाक, जलपाईगुड़ी

6 राज्यों

4,590 हेक्टेयर

10,245 घरों

विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां

विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियाँ सामाजिक व आर्थिक दोनों ही प्रस्थिति के आधार पर भारतीय समाज के कमजोर तबकों में से एक हैं और इनके प्रति मौजूदा राज्य नीतियां भी अस्पष्ट ही हैं। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में इनके मानवीय व राजनीतिक अधिकारों को लेकर चेतना जागृत हुई है। बीआरएलएफ द्वारा इन समुदायों की असहाय परिस्थितियों व चुनौतियों का व्यवस्थित आकलन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र की विमुक्त जनजातियों व अधिसूचित जनजातियों के मुद्दों पर चर्चा हेतु जनवरी 2016 में पुणे में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विमुक्त जनजातियों व अधिसूचित जनजातियों के विभिन्न नागरिक सामाजिक संगठनों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 17 मार्च 2016 को आयोजित शासी बैठक में कार्यकारिणी द्वारा इन समूहों के साथ काम करने, जिसमें अत्यंत दुष्प्रभावित जनजातियों की पहचान व उनके साथ काम शुरू करने का निर्णय लिया गया और रणनीति तय करने के लिए संस्था को दिशानिर्देश देने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया।

बीआरएलएफ ने सेवावर्धिनी, पुणे के साथ 1 अप्रैल 2017 को 'महाराष्ट्र की विमुक्त व घुमंतु जनजातियों के सशक्तिकरण व उनके लिए आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी' वाली परियोजना हेतु तीन वर्ष का करार किया। इस करार के तहत महाराष्ट्र के सोलापुर व उस्मानाबाद जिलों में इस परियोजना को लागू करने के लिए सेवावर्धिनी को एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। सम्पूर्ण परियोजना बीआरएलएफ शासी परिषद् के सदस्य व समरसता पुनरुत्थान गुरूकुलम के संस्थापक श्री गिरीश प्रभुने की देखरेख में क्रियान्वित की जाएगी।

परियोजना विमुक्त/अधिसूचित समुदायों को एक मजबूत और दमदार समूहों के रूप में उभरने में सहयोगी है। अप्रैल 2017 में परियोजना के आरंभ से लेकर अबतक निम्न हस्तक्षेप किये जा चुके हैं:

- विमुक्त व अधिसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ 6 स्वयं सहायता समूहों का गठन
- समूह के नेता का समूह गतिशीलता, समूह प्रबंधन, और नेतृत्व पर प्रशिक्षण
- समुदाय संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से समुदाय के सदस्यों को सुगम सहयोग
- समुदाय के सदस्यों का तीन बार डेयरी हेतु चार दिवसीय प्रशिक्षण (पशु प्रबंधन, मुख्य बीमारियों की पहचान व रोकथाम, प्राथमिक उपचार, पशु आवास व स्वच्छता, आहार, कृत्रिम गर्भाधान आदि विषयों पर)
- उन्नत कृषि व्यवहारों व सब्जी उत्पादन हेतु समुदाय के सदस्यों का प्रशिक्षण
- सोलापुर जिले के कुरडू गाँव के 8 परिवारों को गाय के दूध व उससे बने अन्य उत्पादों (गोबर, गौ मूत्र आदि जिन्हें सामान्यता पंचगव्य कहा जाता है) का व्यवसाय कर के आजीविका संवर्धन हेतु 2 दुधारू गाय प्रदान की गयीं
- 16 विमुक्त जनजातियों – अधिसूचित जनजातियों के परिवारों को उन्नत कृषि व्यवहारों को अपनाने व सब्जी उत्पादन हेतु जोड़ा गया
- विमुक्त जनजातियों – अधिसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ चर्चा की गयीं

पशुधन अवधारणा आधारित संदर्भ केंद्र (सेंटर फॉर पेस्टोरेलिज्म–सीएफपी)

वर्ष 2017 में बीआरएलएफ ने पशुधन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर समेकित कार्य करने की दृष्टि से सहजीवन के साथ सेंटर फॉर पेस्टोरेलिज्म नामक संदर्भ केंद्र स्थापित करने हेतु करार किया। इस केंद्र का लक्ष्य उस पर्यावरण को सहयोग करने व बेहतर करने वाले आधारभूत मूल्यों से जनित है जिनमे पशुचारक काम करते हैं; साथ ही यह पशुपालन व्यवस्थाओं के प्रति बेहतर समझ, पशुपालन से प्राप्त बेहतर परिणामों, और नीति निर्धारकों, मीडिया, छात्र समूहों, व एक तरह से पूरे समाज तक प्रभावी पहुँच के विचार पर आधारित है।

सीएफपी का मानना है कि आज का पशुपालक, जोकि बड़ी संख्या में मुख्यधारा से बाहर हैं, अपने को वर्तमान में जिस परिस्थिति में पाता है, वह उन नीतियों का ही परिणाम है जिनमे पशुपालन हेतु आवश्यक आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य मूल्यों की अवहेलना की गयी है व पशुधन आधारित आजीविका को सहयोग करने के लिए मुख्यधारा के निवेशों का निरंतर अभाव बनाये रखा है। इस प्रकार के अपेक्षित निवेशों व सहयोगों का न केवल पशुधन आधारित आजीविका पर जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता था बल्कि उन सभी विविध समुदायों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ता जो पशुपालकों मय डेयरी, किसानों, बुनकर,व अन्यों से संपर्क में आते रहते हैं।

सीएफपी खुद को एक विशाल एजेंडा के रूप में या एक बड़ी संस्था के निर्माण के रूप में नहीं देखता है। इसके बजाय यह अन्य पशुपालन वाले क्षेत्रों में विस्तृत कार्यक्रम के रूप में काम को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग करने की उम्मीद करता है; व पशुपालन प्रणालियों से संबंधित मुद्दों पर कई दीर्घकालिक शोध कार्यक्रम शुरू करने के लिए अकादमिक संस्थानों के साथ साझेदारी; और पशुपालन प्रणालियों हेतु पैरवी, कार्यक्रमों और निवेश पर कार्य करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग की आशा रखता है।

सीएफपी की चालू गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

आजीविका हेतु कार्य:

सीएफपी का आजीविका कार्य प्रारंभिक रूप से डेयरी (ऊंट का दूध, बकरी का दूध व पनीर) व ऊन उत्पादन पर केन्द्रित है।

पशु नस्लें:

गुजरात में बन्नी भैंस, खराई ऊंट व कच्छी–सिन्धी घोड़ा आदि पशु नस्लों के विशिष्ट नस्लों के रूप में पहचान दिलाने की सहजीवन की सफलता ने सरकारी तंत्र को भलीभांति यह अहसास दिलाया है कि पशुपालक पशु नस्लों के संतुलन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अनुभव से प्रेरित होकर सीएफपी द्वारा 6 और 7 अक्टूबर 2017 को नेशनल ब्यूरो ऑफ़ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, पशुधन विभाग मंत्रालय और गुजरात सरकार के साथ मिलकर देशभर में इस प्रकार की पशु नस्लों की पहचान की आवश्यकता पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय पशु राज्य मंत्री द्वारा किया गया, व दस राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था। इस तरह की मान्यता की आवश्यकता के रूप में 30 संभावित आबादी समूहों की पहचान की गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ़ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में सरकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ आगामी बैठकों में, मिशन मोड में संभावित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गयी है। साझेदार संगठनों के एक समूह का इस एजेंडे पर अपनी राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए अंतिम रूप से चयन किया जा रहा है।

इस प्रकार के अपेक्षित निवेशों व सहयोगों का न केवल पशुधन आधारित आजीविका पर जबरदस्त प्रभाव पड़ सकता था बल्कि उन सभी विविध समुदायों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ता जो पशुपालकों मय डेयरी, किसानों, बुनकर व अन्यों से संपर्क में आते रहते हैं।

वन अधिकार अधिनियम:

सीएफपी वन अधिकार अधिनियम सम्बंधित कार्यों में संलग्न है जैसा सहजीवन ने बन्नी चारागाह के मालधारिसों और कच्छ में खराई ऊंट पालकों के साथ आगे बढाया था।

शोध एवं पाठ्यक्रम विकास:

सीएफपी का शोध एवं शिक्षण अजेंडा प्राथमिक रूप से शोध संस्थानों के साथ काम करने के इर्दगिर्द ही आधारित है। यह एक तरह से वित्त पोषित शोध व संस्थागत सहयोग का रूप ले चुका है जोकि निम्नवत है:

- पशुपालकों व आधार अध्ययन, तथा पशुपालकों की उपस्थिति व संख्या और देश के विभिन्न भागों में रह रहे उनके परिवारजन के संबन्ध पर बेसलाइन डेटा एकत्रित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण आयोजन
- स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पशुपालन को जोड़ने हेतु सीएफपी द्वारा अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली, व श्रुति स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन, बंगलोर के साथ संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया
- शिव नाडार विश्वविद्यालय ने पशुपालन पारिस्थितिक तंत्र विषय पर समझ विकसित करने के उद्देश्य से एक शोध कार्यक्रम के निर्माण में सीएफपी का सहयोग माँगा है

आउटरीच:

सीएफपी के संप्रेक्षण कार्य का उद्देश्य पशुपालन विषय पर रूचि रखने वाले विभिन्न हितधारकों मय नीति निर्माताओं, शैक्षणिक, मीडिया, विद्यार्थियों व एक दृष्टि से पूरे समाज के साथ कार्य करना है। इस हेतु निम्न चरण उठाये जा चुके हैं:

लिविंग लाइटली: लिविंग लाइटली प्रदर्शनी का आयोजन दिसम्बर 2016 में दिल्ली में किया गया। पहली प्रदर्शनी कच्छ, गुजरात के पशुपालकों पर प्रकाश डालने में सफल रही। इस प्रदर्शनी का एक लघु रूप अहमदाबाद में अक्टूबर 2017 में किया गया। अब यह प्रदर्शनी दक्षिण का रूख लेगी जहाँ इसमें दक्कन के पठार के पशुपालन व्यवहारों के तत्वों को शामिल कर प्रदर्शित किया जायेगा, जहाँ से 2019 के अंत तक बंगलौर में प्रदर्शित की जाएगी। वर्ष 2020 के अंत तक आशा है कि हिमालय के पशुपालन में मौजूद उल्लेखनीय विभिन्नता व जीवंतता को दर्शाया जा सकेगा। प्रदर्शनी ने पशुपालन भूमि, जीवन व आजीविका पर रूचि रखने वाले भारतीय समाज को व्यापक रूप से बांध दिया है। प्रदर्शनी के आगंतुकों में राजनेता और नौकरशाहों से लेकर शिक्षकगण, एक्टिविस्ट, मीडिया, और विभिन्न स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल रहे हैं।

लिविंग लाइटली प्रदर्शनी ने विभिन्न प्रकार की चर्चाओं, परामर्श व नीति संवादों हेतु मंच प्रदान किया है, व प्रदर्शनी के प्रत्येक संस्करण के बाद विभिन्न चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। 2017 अक्टूबर संस्करण के बाद नस्ल पहचान, पंजीकरण व पशुपालन पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन; और एक परिचर्चा का आयोजन कि पशुपालन समुदाय किस प्रकार वन अधिकार अधिनियम के तहत सीमित चारागाह भूमि पर अपने सुरक्षा हकों को कैसे सुधार सकते हैं। सीएफपी द्वारा 'पैस्टोरल टाइम्स' नाम का प्रकाशन शुरू किया जोकि प्रारंभ में 2016 लिविंग लाइटली प्रदर्शनी के बारे में न्यूज़लैटर के प्रारूप में था। अब यह त्रैमासिक ब्रोडशीट में परिवर्तित हो चुका है जोकि भारत व बाहर के देशों में पशुपालन की दुनिया में हो रहे विकास के बारे में बताता है। पैस्टोरल टाइम्स का मार्च संस्करण प्रकाशित हो चुका है और इसका डिजिटल संस्करण भी सीएफपी की वेबसाइट www.pastoralism.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

कलेंडर: सीएफपी द्वारा अपने शुभचिंतकों व साझेदारों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए वर्ष 2018 का कलेंडर तैयार किया है जिसमें शंकर श्रीधर द्वारा लद्दाख के चंग्पा जनजाति के खींचे गए खूबसूरत फोटो प्रदर्शित हैं।

4

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी

झरना/जलधारा कायाकल्प व प्रबंधन 28

ऊषर मुक्ति परियोजना 29

राज्य सरकारों और नागरिक सामाजिक संगठनों के बीच साझेदारी दोनों साझेदारों के लिए विजय की स्थिति है। एक ओर, नागरिक संगठन कार्यक्रम क्रियान्वयन के सभी चरणों में सरकारी भागीदारी के माध्यम से व्यवस्थाओं की बेहतर प्रतिक्रिया से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, नागरिक सामाजिक संगठन अपने प्रयासों को तत्काल बढ़ाने के लिए जबरदस्त अवसरों का लाभ उठाते हैं और बड़े पैमाने पर परिणामों के प्रभाव को सामने देखते हैं। दूसरी तरफ, राज्य सरकारें नागरिक सामाजिक संगठनों और समुदाय के साथ विभिन्न स्तरों पर आदानप्रदान के दौरान गहन भागीदारी से लाभ प्राप्त करती हैं, जो परियोजनाओं के लिए विशाल सामाजिक पूंजी उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। इसके साथ ही, फ्रंटलाइन सरकारी कार्यकर्ताओं की क्षमताएं बढ़ती हैं, फलस्वरूप लोगों से पूरे जुड़ाव के साथ गुणवत्तापरक परिणामों की प्राप्ति होती है।

राज्य सरकारें बीआरएलएफ में आम सभा, शासी समिति और परियोजना अनुदान चयन समिति के जरिये प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका ध्येय राज्यसरकारों के साथ साझेदारी में नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा बनाये गए परियोजना प्रस्तावों को सहयोग देना व सहजीकृत करना होता है। चालू वित्त वर्ष में बीआरएलएफ ने दो वृहद्स्तरीय जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ सफल साझेदारी को स्थापित किया है।

झरना / जलधारा कायाकल्प व प्रबंधन

बीआरएलएफ द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा इकाई के साथ 1अप्रैल 2017 को एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। इस करार के तहत पश्चिम बंगाल के चार उत्तरी जिलों यथा; दार्जलिंग, अलिपुरदुआर, कलिम्पोंग, और जलपाईगुड़ी के 457 झरनों के संरक्षण हेतु 'झरना कायाकल्प कार्यक्रम' लागू किया गया जिसे क्रियान्वयन साझेदार संगठन प्रसारी व एडवांस्ड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (एक्वाडेम) द्वारा किया जायेगा। झरना उपचार योजनाओं की तैयारी व क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित सहयोग बीआरएलएफ के साझेदार संगठन (प्रसारी) व ज्ञान साझेदार (एक्वाडेम) द्वारा उपलब्ध कराया गया। उपचार हेतु मनरेगा से 27 करोड़ रुपए की लागत राशि जुटाई गयी।

झरना प्रबंधन कार्यक्रम 2017 में आरंभ किया गया था परन्तु क्षेत्र में राजनीतिक अशांति के कारण क्रियान्वयन को रोक दिया गया था। जनवरी 2018 में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के जरिये से कार्यक्रम को पुनः आरम्भ किया गया। पहाड़ी इलाकों में जल समस्या से निपटने के लिए सूख रहे झरनों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता को संबोधित करते हुए कलिम्पोंग (फरवरी 5, 2018) व कुरसेओंग (फरवरी 6, 2018) में झरना संरक्षण पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। इन कार्यशालाओं में विभिन्न स्तर के सरकारी प्रतिनिधियों जैसे; मनरेगा आयुक्त, पंचायती राज व ग्रामीण विकास पश्चिम बंगाल के डिप्टी सचिव, जीटीए प्रतिनिधियों, दो जिलों के आठ विकास खण्डों व समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। प्रसारी, एक्वाडेम, व अर्घ्यम के प्रतिनिधि भी इन कार्यशालाओं में उपस्थित थे।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का उद्देश्य झरना प्रबंधन से जुड़े लोगों के बीच अनुभवों के आदानप्रदान और परस्पर सीखने को बढ़ावा देना है। फरवरी और मार्च में तीन क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें तकनीकी कर्मचारियों (लीड और सहायक), धरासेवक, और विभिन्न समुदायों ने भाग लिया। एक्वाडेम द्वारा परियोजना निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म (एकस्टेप) स्थापित किया है। अभी तक 4 जिलों में 49 झरनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। परन्तु, क्षेत्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण डीपीआर तैयार होने के के बाद भी झरनों के वास्तविक उपचार कार्य शुरू नहीं हो सका।

लक्ष्य पूर्ण – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

जिले	कुल शामिल झरने अथवा जलधाराएं	डीपीआर पूर्ण	क्षेत्र घेराव (हेक्टर)
दार्जलिंग और कलिम्पोंग	35	35	394.8
जलपाईगुड़ी	3	3	11.0
अलीपुरदुआर	11	11	30.8
कुल	**49**	**49**	**436.6**

ऊषर मुक्ति परियोजना

बीआरएलएफ ने पश्चिम बंगाल राज्य के ग्रामीण मंत्रालय की मनरेगा इकाई व छह नागरिक सामाजिक संगठनों (मय एक लीड नागरिक सामाजिक संगठन) के साथ 10 अगस्त 2017 को एक दूसरा करार किया। इस परियोजना में राज्य के पश्चिमी हिस्से में जल संरक्षण और जलग्रहण विकास के लिए मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम बर्धमान आदि छह जिलों के 55 विकास खण्डों में 472 ग्राम पंचायतों के 10,091 गांवों में 2,344 सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए "ऊषर मुक्ति परियोजना" लागू की गई थी।

ऊषर मुक्ति परियोजना पहाड़ी से घाटी तक (रिज–टू–वैली) दृष्टिकोण को अपनाते हुए जल और मृदा संरक्षण रणनीतियों पर केंद्रित है, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए नदियों और उसके आसपास के इलाकों के देखभाल से सम्बंधित है। यह परियोजना स्थानीय जलवायु के साथ सामंजस्य बनाने वाला समुदाय विकसित करने, मौजूदा कृषि प्रबंधन व्यवहारों में सुधार, अतिरिक्त और वैकल्पिक टिकाऊ आय उत्पन्न करने, और समुदाय के लोगों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और सरकार के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करती है। परियोजना को निम्नलिखित गतिविधियों के साथ युद्ध स्तर की तैयारियों के साथ शुरू किया गया है:

ऊषर मुक्ति परियोजना पहाड़ी से घाटी तक (रिज–टू–वैली) दृष्टिकोण को अपनाते हुए जल और मृदा संरक्षण रणनीतियों पर केंद्रित है, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए नदियों और उसके आसपास के इलाकों के देखभाल से सम्बंधित है।

- समस्त स्टेकहोल्डरों को ऊषर मुक्ति परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए ब्लाक व जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया
- समस्त परियोजना स्थलों पर मुख्य कार्यकर्ताओं का ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण
- 6 नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 97 कर्मचारियों का चयन व अभिमुखीकरण पूर्ण किया जा चुका है
- सभी विकास खण्डों के लिए धारासेवकों (समुदाय संदर्भ व्यक्ति) व कार्यक्रम निगरानी दल के सदस्यों का चयन व प्रशिक्षण पूर्ण
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु सम्बंधित नागरिक सामाजिक संगठनों को सहयोग प्रदान करने के लिए 9 बाहरी विशेषज्ञों को बुलाया गया

ऊषरमुक्ति परियोजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण हेतु सामुदायिक बैठक

10,091
गांव

2,344
माइक्रो वाटरशेड

472
जीपी

55
ब्लॉक

6
जिले

8
राज्यों

- 6 नागरिक सामाजिक संगठनों हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन
- परियोजना के तहत समस्त जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल किया गया व ऊषर मुक्ति परियोजना के तहत नए माइक्रो वाटरशेड कोड प्रदान किये गए
- ब्लाक स्तर पर समुदाय, पंचायती राज सदस्यों, धारासेवकों, नागरिक सामाजिक संगठनों, और सरकारी कर्मचारियों के साथ नजदीकी से कार्य करते हुए माइक्रो वाटरशेड लेवल पर 346 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार किया गया
- 90% पूर्ण रिपोर्टों को सम्बंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने हेतु मनरेगा पोर्टल पर अपलोड किया गया
- पश्चिम बंगाल राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय में बीआरएलएफ द्वारा जीआइएस व एमआईएस सेल की स्थापना
- सर्व साधारण को परियोजना की जानकारी और प्रगति से अवगत कराने के लिए परियोजना वेबसाइट को तैयार किया गया। (परियोजना वेबसाइट: https://usharmukti.nregawb.in/)

ऊषर मुक्ति परियोजना के बारे में सभी को जानकारी और प्रचार प्रसार हेतु टेलीवीजन और रेडियो आदि मीडिया माध्यमों से पैरवी की गयी

ऊषर मुक्ति परियोजना प्रगति रिपोर्ट 2017–18

क्रम सं.	एनजीओ	जिले	ब्लाक	माइक्रो वाटरशेड (डीपीआर)संख्या लक्ष्य / उपलब्धि				मनरेगा पोर्टल पर अपलोड (कुल डीपीआर)	कुल शामिल क्षेत्र (हेक्टर)	कुल शामिल परिवार	कुल अनुसूचित जन जातीय परिवार	कुल राशि (लाखों में)
				लक्ष्य	उपलब्धि सघन ब्लाक (डीपीआर संख्या)	उपलब्धि गैर सघन ब्लाक	कुल उपलब्धि (डीपीआर संख्या)					
1	डीआरसीएससी	पुरुलिया	5	48	14	25	39	35	626	36468	7057	1240
2	टीएसआरडी	पुरुलिया	5	12	8	7	15	15	1468	12904	4457	3342
3	आरडीए	झारग्राम व प.मिदनापुर	5	42	9	4	13	13	854	4603	1207	1396
4	शमायिता मठ	बंकुरा	5	12	9	4	13	13	9918	2748	409	1025
5	एलकेपी	प.बर्दवान और पुरुलिया	8	71	9	49	58	52	39935	50436	7188	2897
6	प्रदान	पुरुलिया, बंकुरा और झारग्राम	22	108	106	53	159	137	11046	59811	20336	30445
7	प्रसारी	बीरभूम	5	49	14	35	49	46	3034	11200	5800	1856
	कुल		**55**	**342**	**169**	**177**	**346**	**311**	**66880**	**178170**	**46454**	**42200**

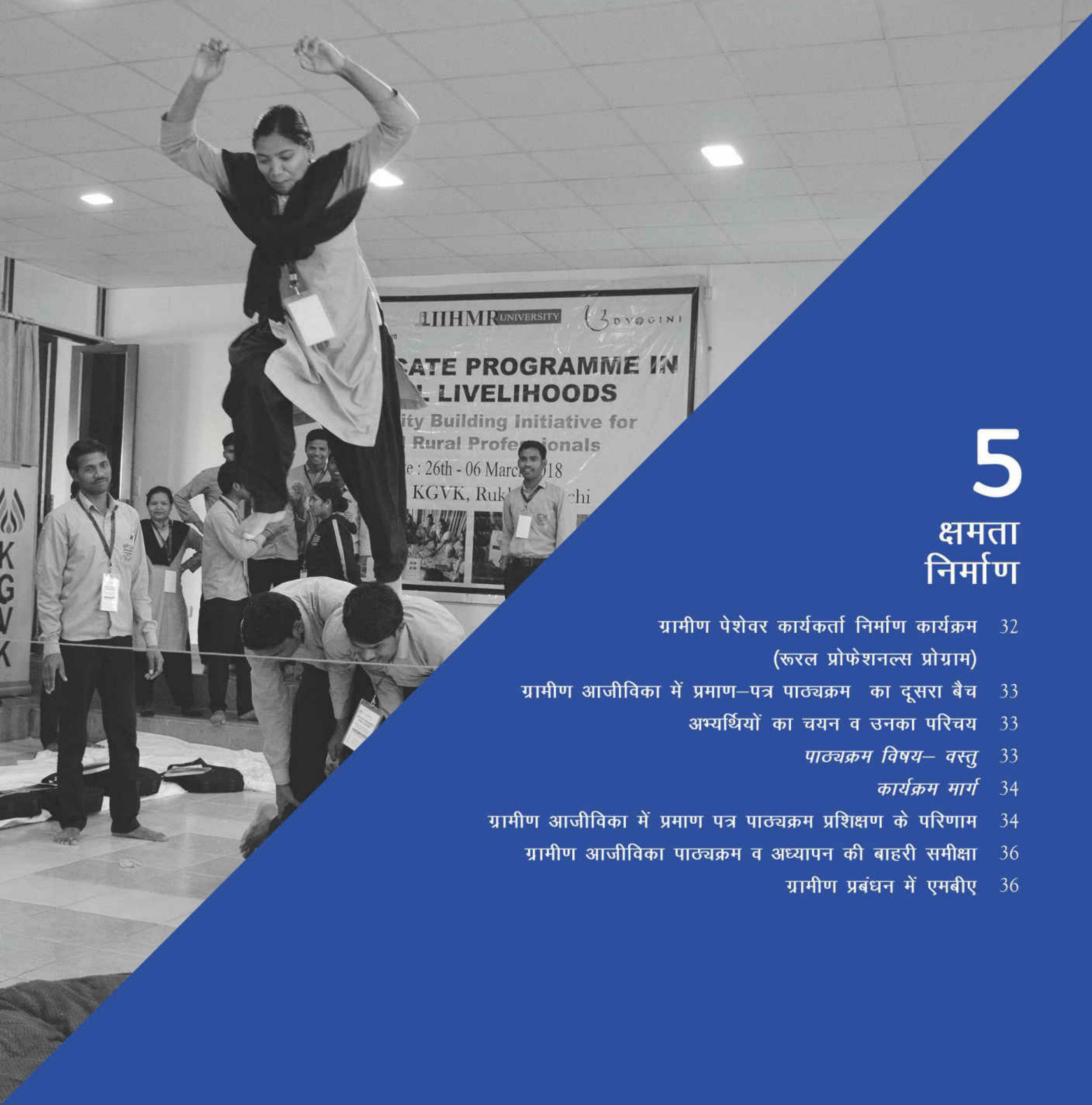

5
क्षमता निर्माण

ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ता निर्माण कार्यक्रम (रूरल प्रोफेशनल्स प्रोग्राम) 32
ग्रामीण आजीविका में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच 33
अभ्यर्थियों का चयन व उनका परिचय 33
पाठ्यक्रम विषय– वस्तु 33
कार्यक्रम मार्ग 34
ग्रामीण आजीविका में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के परिणाम 34
ग्रामीण आजीविका पाठ्यक्रम व अध्यापन की बाहरी समीक्षा 36
ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए 36

ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ता निर्माण कार्यक्रम (रूरल प्रोफेशनल्स प्रोग्राम)

बीआरएलएफ की स्थापना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य उप–जिला/तहसील स्तर पर सिविल सोसायटी संगठनों और सरकार के साथ वर्तमान में कार्यरत/भविष्य में काम करने वाले ग्रामीण पेशेवरों की क्षमता निर्माण चुनौती को संबोधित करना था।

बीआरएलएफ के इस लक्ष्य की ओर पहला कदम आदिवासी युवाओं के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करने की दिशा में रहा जोकि मध्य भारत में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र के शीर्ष संगठनों द्वारा जनजातीय (18–40 वर्ष) युवाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है व पाठ्यक्रम में ग्रामीण आजीविका के विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है।

इस छमाही पाठ्यक्रम के संचालन हेतु बीआरएलएफ ने जयपुर की इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के साथ एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। अभी तक ग्रामीण आजीविका में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुड्स) के तहत सम्पूर्ण मध्य भारत से विभिन्न जनजातीय समुदायों के 57 युवा छात्रों के दो बैच को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस पाठ्यक्रम के परिणामों से उत्साहित होकर बीआरएलएफ ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जयपुर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधीनगर, गुजरात के साथ मिलकर आगे और बैच प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की है।

अभी तक ग्रामीण आजीविका में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुड्स) के तहत सम्पूर्ण मध्य भारत से विभिन्न जनजातीय समुदायों के 57 युवा छात्रों के दो बैच को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ग्रामीण आजीविका में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम का पहला बैच

पाठ्यक्रम के तहत 29 प्रशिक्षणार्थियों के साथ पहले बैच का प्रशिक्षण 15 नवम्बर 2016 को आरम्भ होकर 24 मई 2017 को समाप्त हुआ था।

इस पहले बैच में से 18 युवा अपने–अपने क्षेत्रों में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे है। 5 विद्यार्थी उच्चशिक्षा (रूरल मैनेजमेंट में एमबीए) हेतु अध्ययनरत हैं व 2 उद्यमी बन चुके हैं। शेष अभी विभिन्न सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

ग्रामीण आजीविका में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए कार्यात्मक आई टी कौशल प्रशिक्षण

ग्रामीण आजीविका में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम का दूसरा बैच

बीआरएलएफ ने 4 अक्टूबर 2017 को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जयपुर के साथ मिलकर पाठ्यक्रम के तहत दूसरे बैच का प्रशिक्षण आरंभ किया।

	मॉडयूल	साझेदार संगठन	अध्ययन हेतु कुल सक्रिय दिवस
	भाग एक : फाउंडेशन मॉडयूल (स्थलः आई आई एच एम आर)		
1.1	अंग्रेजी भाषा व जीवल कौशल	क्वेस्ट एलायंस	2
1.2	कार्यात्मक आई टी कौशल (पाठ्यक्रम के पहले व दूसरे भाग में लागू)	डीईएफ	12
1.3	परिप्रेक्ष्य निर्माण (विभिन्न स्थलों पर)	शीर्ष पेशेवरों द्वारा	5
	भाग दो : विषयगत जानकारी (क्षेत्र आधारित) मॉडयूल (स्थलः अपने–अपने क्षेत्र में)		
2.1	सहभागी भू–जल प्रबंधन	एसीटी	11
2.2	जल–संग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, सहभागी पेय जल प्रबंधन, एवं वाश	ए के एस पी आर आई	21
2.3	वाश (वाटर एंड सैनिटेशन)	ए के एस पी आर आई	5
2.4	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक संपत्ति संसाधन	एफईएस	12
2.5	फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला अवधारणा 1 – सम्पूर्ण फार्म अवधारणा	युवा मित्र	12
2.6	फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला अवधारणा 2 – गैर–रासायनिक कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन	प्राण	10
2.7	गैर–फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला– पशुधन एवं कुक्कुट पालन	वासन	3
2.8	संस्था निर्माण 1 – महिला स्वयं सहायता समूह और आजीविका	चैतन्य	12
2.9	संस्था निर्माण 2– मूल्य श्रृंखला अवधारणा में ग्रामीण समुदाय उद्यम मॉडल	उद्योगिनी	8
2.10	अधिकार एवं हक् 1– वन आधारित आजीविका और विकेन्द्रित शासन और लोक संस्थाएं/संगठन	मेंदालेखा ग्राम पंचायत और सेतु	3
2.11	अधिकार एवं हक् 2– विकेन्द्रित शासन और लोक संस्थाएं/संगठन	पानी संस्थान और सेतु	10
2.12	जेंडर और आजीविका	टानंदी	6

अभ्यर्थियों का चयन व उनका परिचय

प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन के माध्यम से लोगों से आवेदन मांगे गए। इस विज्ञापन को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जयपुर, बीआरएलएफ, व मध्य भारत में कार्यरत राज्य सरकारों, राज्य आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालयों, सिविल सोसायटी संगठनों, और विभिन्न कॉर्पोरेट समूहों आदि की अधिकारिक वेबसाइटों पर भी जारी किया गया। कुल प्राप्त 89 आवेदनों में से 28 अभ्यर्थियों का तीन स्तरीय चयन प्रक्रिया– आवेदन, लिखित परीक्षा, व व्यक्तिगत साक्षात्कार, के आधार पर अंतिम चयन किया गया।

दूसरे बैच के कुल 28 प्रशिक्षणार्थियों में 6 महिलायें व 22 पुरुष थे। ये प्रशिक्षणार्थी झारखण्ड, ओड़िसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल राज्यों से थे। अधिकतर प्रशिक्षणार्थी 25 वर्ष से कम आयु के थे। हालांकि, पाठ्यक्रम के लिए किसी प्रकार की मूलभूत शिक्षा की पूर्व आवश्यकता नहीं थी, फिर भी 6 लोग दसवीं व 13 प्रशिक्षणार्थी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, व 8 स्नातक थे और एक प्रशिक्षणार्थी स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु पंजीकृत था।

पाठ्यक्रम विषय– वस्तु

प्रमाणपत्र कार्यक्रम दो भागों में प्रस्तावित हैः

पहला भाग ग्रामीण आजीविकाएं, क्षेत्र में मौजूद चुनौतियां व कार्य करने की संभावनाओं आदि मुख्य विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों की समग्र समझ बनाने की दिशा में परिप्रेक्ष्य निर्माण से सम्बंधित है।

दूसरे भाग के तहत विभिन्न परियोजना स्थलों पर स्थित जिम्मेदार नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें पूर्व आवंटित मॉडयूलों को अपने क्षेत्र में ही पढ़ाया जायेगा अथवा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जयपुर में इनका प्रशिक्षण दिया जायेगा।

कार्यक्रम मार्ग

इस 6 माह के पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के दौरान संभागियों ने भारत के 7 राज्यों के 11 परियोजना स्थलों के 14 प्रशिक्षण संस्थाओं में भ्रमण किया।

स्थलों का क्रम :

1 आईआईएचएमआरयू , जयपुर
2 भुज, गुजरात
3 सायला, गुजरात
4 उदयपुर, राजस्थान
5 सिन्नर, महाराष्ट्र
6 राजगुरुनगर, महाराष्ट्र
7 मेंडालेखा, महाराष्ट्र
8 श्रीकाकुलम, महाराष्ट्र
9 रांची, झारखण्ड
10 बोधगया, बिहार
11 फैजाबाद, उत्तरप्रदेश

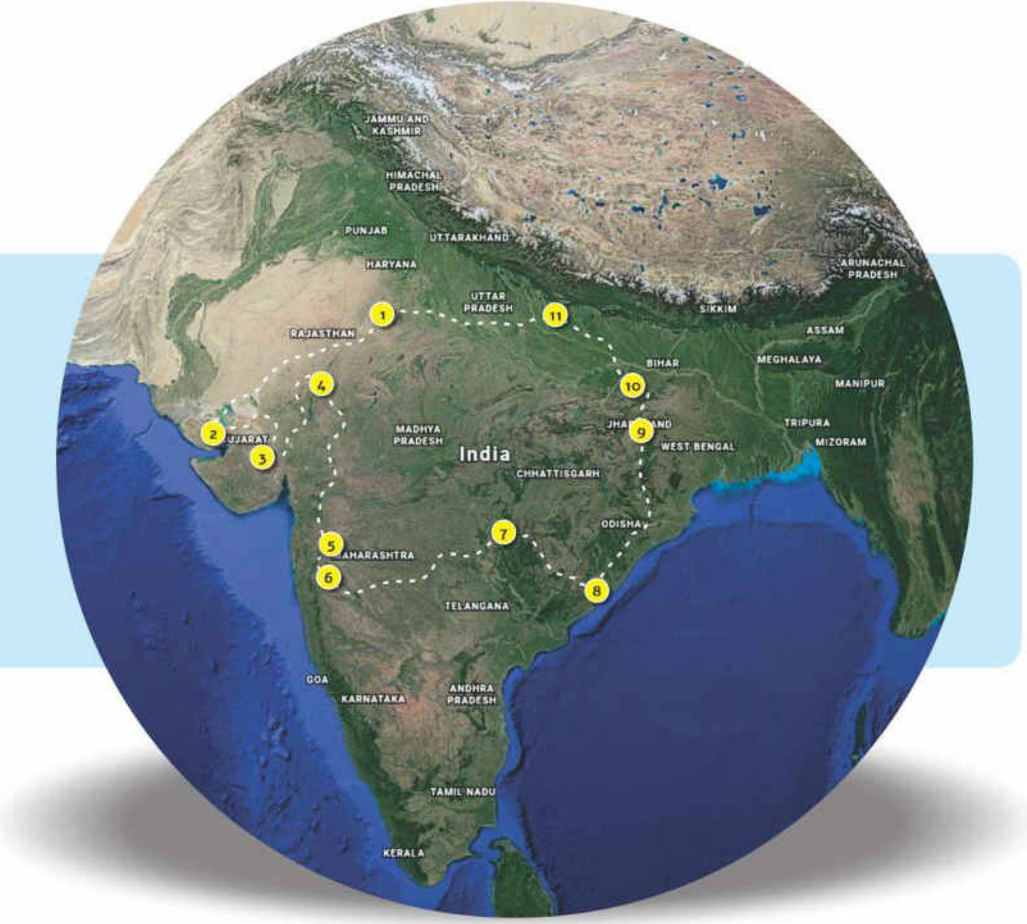

ग्रामीण आजीविका में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के परिणाम

आईआईएचएमआरयू, जयपुर में 5 अप्रैल 2018 को आयोजित दीक्षांत समारोह में 28 संभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सभी उम्मीदवारों द्वारा ग्रामीण आजीविका के सभी उप–विषयों पर एक अच्छी समझ, ज्ञान और कौशल को विकसित किया जा चुका था। प्रत्येक मॉड्यूल में संभागियों की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित हैं:

▶ **अंग्रेजी भाषा व जीवन कौशल :**

- लिखित व मौखिक संप्रेषण में सुधार
- समय प्रबंधन व टीम में कार्य कर पाना

▶ **कार्यात्मक आईटी कौशल :**

- कंप्यूटर चलाना व इन्टरनेट का उपयोग सीख पाना
- एमएस वर्ड, एक्सेल, और पॉवरपॉइंट पर काम करना सीख पाना

▶ **सहभागी भू जल प्रबंधन :**

- न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से भूजल संसाधन को किस प्रकार बनाये रखा जाये के बारे में ज्ञान
- विशिष्ट भूजल समस्याओं के लिए उचित दृष्टिकोण तैयार करने की क्षमता विकसित कर पाना

▶ **जल संग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन और सहभागी पेय जल प्रबंधन:**

- जल संग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन और सहभागी पेय जल प्रबंधन हेतु आवश्यक नियोजन में गंभीर रूप से संलग्न होने की क्षमता विकसित करना
- सहभागी सिंचाई प्रबंधन और सहभागी पेय जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए संभावित संस्थागत परिणामों के ज्ञान के साथ समुदाय स्तरीय संगठनों / संस्थाओं जुड़ाव करने के लिए कौशल हासिल करना

▶ **जल, सफाई और स्वच्छता (वाश):**

- वाश सम्बंधित परियोंजनाओं को सहजीकृत व क्रियान्वित करने का कौशल अर्जित कर पाना
- वाश निगरानी पर समुदाय समूहों को अभिमुख कर पाने की योग्यता विकसित कर पाना व समुदाय स्तर पर वाश निगरानी को शुरू कर पाना

- **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक संपत्ति संसाधन :**
- क्षेत्र में सामान्य भूमि और सामुदायिक संपत्ति संसाधनों हेतु दावा करने, सुरक्षित करने, व प्रबंध करने के लिए सहयोग दे पाने की योग्यता विकसित करना
- पारिस्थितिक पुनर्जीवन/सामान्य भूमि विकास परियोजनाओं के गुणवत्ता और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के तरीके सीख पाना
- मूल्य श्रृंखला अवधारणा में फार्म आधारित आजीविका : सम्पूर्ण फार्म
- अपने क्षेत्र में वाड़ी परियोजना के चरणों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग व अभ्यास सहयोग दे पाना

- **गैर कीटनाशक कृषि प्रबंधन :**
- गैर कीटनाशक प्रबंधन के बारे में जागरूक करने की विभिन्न विधियों को सीख पाना
- विभिन्न गैर कीटनाशक प्रबंधन उत्पादों और जैविक उर्वरकों और खाद को तैयार कर पाना व उपयोग कर पाना

- **गैर–फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला–पशुधन एवं देसी कुक्कुट पालन :**
- आंगन में देसी मुर्गीपालन प्रबंध परियोजना संबंधी डिज़ाइन, संरचना, और लागत निर्धारण में सहयोग दे पाना
- ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका हस्तक्षेप के रूप में कुक्कुट पालन मूल्य श्रृंखला में प्रभावी रूप में शामिल हो पाना

- **संस्था निर्माण (1): महिला स्वयं सहायता समूह व आजीविका :**
- स्वयं सहायता समूहों का गठन व प्रबंधन सीख पाना
- समूह में आजीविका हस्तक्षेपों को प्रेरित करना सीख पाना

- **संस्था निर्माण (2): ग्रामीण समुदाय उद्यम मॉडल**
- सामाजिक उद्यमों के बारे में समझ विकसित कर पाना
- लघु सामुदायिक उद्यम मॉडल को स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त कर पाना

- **अधिकार एवं हक (1) व (2): वन आधारित आजीविका व विकेन्द्रित सुशासन व जन संस्थाएंः**
- अभ्यास की दृष्टि से स्व शासन की विभिन्न अवधारणों को सीखना
- सामाजिक विश्लेषण, सामुदायिक जुड़ाव, व सहजीकरण कौशल सीख पाना

- **जेंडर व आजीविका :**
- जेंडर की समझ के साथ वास्तविकताओं का परीक्षण करना सीख पाना
- अपने अनुभवों पर विश्लेषण करना व अपने व्यवहारों व संबंधों में परिवर्तन लाने के प्रति प्रतिबद्ध हो पाना

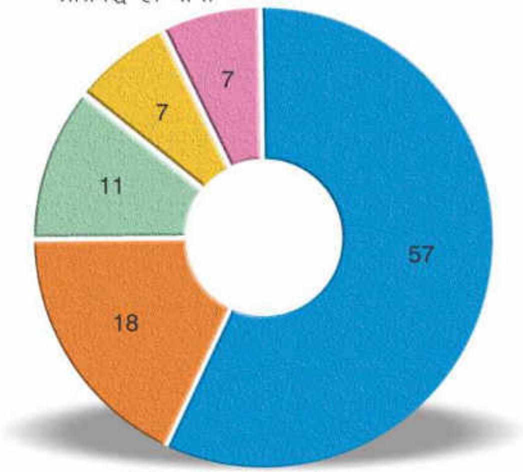

विभिन्न मॉडयूल को आवंटित समय
- आजीविका
- संस्थागत और क्षमता निर्माण
- स्वास्थ्य और पोषण
- वाटरशेड और वाश
- जेंडर

समस्त 28 संभागी प्रशिक्षण पश्चात् अपने सम्बंधित क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे है।

संभागियों की प्रतिक्रिया

"मुझे लोगों से बात करने में संकोच होता था। अब में बहुत स्पष्ट बोलता हूँ व इससे मुझे ज्ञान बांटने में मदद मिलती है। मुझे परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना आ गया है व सहनशील हुआ हूँ।"

संजय पाहन, झारखण्ड

"जीवन में पहली बार मुझे किसी ने प्रेरित किया कि गलत बोलने के डर से बोलना नहीं छोड़ना है। अब मैं अपनी राय रख सकता हूँ।"

तिल्क्ली बलाई, ओड़िसा

"अब मुझे समझ में आया कि पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर अधिकार होता है।"

दामोदर खड़े, महाराष्ट्र

"अब मैं अपनी पत्नी को मोबाइल फोन दूंगा। मेरे गाँव में महिलाओं को मोबाइल फोन देना एक निषेध है परन्तु पत्नी के अधिकार के लिए मैं इस मान्यता का विरोध करने के लिए तैयार हूँ।"

धर्मपाल बैगा, मध्य प्रदेश

"इस पाठ्यक्रम से मुझे जो सीख मिली है वह यह कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो।"

मनोज सोय, झारखण्ड

ग्रामीण आजीविका पाठ्यक्रम व अध्यापन की बाहरी समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2017–18 में क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि ग्रामीण आजीविका पाठ्यक्रम के समस्त मॉडयूलों की बाहरी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नवत थे:

- पाठ्यक्रम की संरचना, दर्शन और ज्ञान के आदान प्रदान के तरीकों को ध्यान में रखते हुए संस्थागत कार्यकर्ताओं (सरकारी व गैर सरकारी दोनों), और वर्तमान में नियुक्त अथवा बेरोजगार जनजातीय युवकों के लिए इसकी प्रासंगिकता व संभाव्यता को निर्धारित करना
- पर्यवेक्षण प्रपत्रों और मॉडयूलों अध्यापन हेतु कार्यरत सहजकर्ताओं के आकलन के परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु, क्रम, मूल्यांकन विधा, और/अथवा इसके क्षेत्र में (यदि कोई हो तो) परिवर्तन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना
- पाठ्यक्रम की समीक्षा से ऐसे परिणाम प्राप्त होने चाहिए जो पाठ्यक्रम हेतु सतत निगरानी, समीक्षा, संशोधन करने और बीआरएलएफ के साझेदारों संगठनों के साथ सहयोगात्मक संबद्धता के नवीनीकरण हेतु आवश्यक हों
- समीक्षा प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि पाठ्यक्रम हेतु संभागियों को नामित करने संस्थानों की अपेक्षाओं और पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले संभागियों की अपेक्षाएं, दोनों ही ज्ञान और कौशल घटकों के आधार पर मिलनी चाहिए
- समीक्षा प्रक्रिया व इसके सुझावों से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व राज्यीय अकादमिक मानकों के अनुरूप है

विशेषज्ञों में ग्रामीण जनजातीय युवाओं की क्षमता निर्माण के बीआरएलएफ के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आजीविका के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने पर ठोस सुझाव देने की ज़िम्मेदारी

समीक्षा प्रक्रिया के लिए पहचाने गए विशेषज्ञों में ग्रामीण जनजातीय युवाओं की क्षमता निर्माण के बीआरएलएफ के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण आजीविका के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने पर ठोस सुझाव देने की ज़िम्मेदारी निहित की गयी है।

ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए

बीआरएलएफ ने 10 जुलाई, 2017 को आईआईएचएमआरयू के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार, बीआरएलएफ स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, आईआईएचएमआरयू से ग्रामीण प्रबंधन में दो साल का एमबीए करने के लिए मध्य भारत की जनजातीय क्षेत्रों के होनहार आदिवासी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

दो साल का यह अभ्यास उन्मुख एमबीए पाठ्यक्रम पेशेवरों को उत्पन्न करेगा, जो जमीनी स्तर पर काम करेंगे। वर्तमान में, 6 आदिवासी विद्यार्थियों (छमाही पाठ्यक्रम के पहले बैच के 2 विद्यार्थियों सहित) को बीआरएलएफ द्वारा ग्रामीण प्रबंधन (2017–19) में एमबीए के लिए प्रायोजित किया गया है। 6 में से 5 विद्यार्थी जनजातीय महिलाएं हैं।

बीआरएलएफ ग्रामीण प्रबंधन में दो साल का एमबीए करने के लिए मध्य भारत की जनजातीय क्षेत्रों के होनहार आदिवासी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

आईआरएचएमआरयू द्वारा उसके मौजूदा एमबीए पाठ्यक्रम हेतु किये जाने वाले आवश्यक बदलावों पर अपनी अकादमिक परिषद को सलाह देने हेतु बीआरएलएफ को आमंत्रित किया गया ताकि इसे और अधिक प्रासंगिक और विशिष्ट बनाया जा सके। आईआईएचएमआरयू के साथ, बीआरएलएफ ने एमबीए कार्यक्रम को विकास व्यवहारों के अनुरूप करते हुए फिर से डिजाइन किया जिसमें ग्रामीण आजीविका के संदर्भ में आवश्यकता के आधार पर विषयों को चुना गया और ऐसे सत्रों की रचना की गयी जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को देश के श्रेष्ठ व्यवहारों के प्रतिमान वाले विकास संस्थानों के साथ क्षेत्र में उतर कर कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके।

आईआईएचएमआरयू के साथ किये गए समझौते के अनुसार बीआरएलएफ ग्रमीण प्रबंधन में एमबीए पाठ्यक्रम में निम्न बातों को सुनिश्चित करता है:

- पाठ्यक्रम क्षेत्रीय कार्य आधारित पाठ्यक्रम संरचना के साथ अभ्यास उन्मुख हो जो मूल प्रबंधन/विकास पाठ्यक्रमों में अकादमिक पैनेपन को ठोस व्यावहारिक शिक्षा के साथ संतुलित करता हो
- बहु वैकल्पिक हो। आदर्श रूप में क्षेत्र की मांग को समझते हुए सेक्टर आधारित ज्ञान पर विकल्पों के साथ मौजूद हो
- बहु विधि प्रवेश व निकास स्तर का होना (जैसे; मॉडयुलर पाठ्यक्रम संरचना)

6
शोध एवं ज्ञान प्रबंधन

सांख्यिकी व दस्तावेजीकरण 38

जनजातीय विकास रिपोर्ट 39

श्री गिरीश प्रभुने व समरसता पुनुरुत्थान गुरूकुलम पर आधारित रिपोर्ट 39

भावी परियोजनाएं 40

नए साझेदार संगठनों हेतु प्रभाव मूल्यांकन 40

साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनो के सफल अनुभव 40

नीति ज्ञापन (मेमो) 40

बीआरएलएफ की शोध और ज्ञान प्रबंधन इकाई का उद्देश्य मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका संवर्धन हेतु मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के लिए राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित होना है। शोध इकाई को स्वतंत्र शोध करने व इस प्रकार के शोध करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया जो ग्रामीण निर्धनों, विशेषकर जनजातियों के लिए स्थायी रूप से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए हस्तक्षेप विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थन व सहयोग प्रदान करे।

सांख्यिकी व दस्तावेजीकरण

इस खंड को हाल ही में बीआरएलएफ की वेबसाइट (देखें: http://www.brlf.in/brlf2/statistics-documents/) पर प्रस्तुत किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, केन्द्रीय व राज्य सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों, जनजातीय विकास के मुद्दों पर काम करने वाले शोधार्थी, व आमजन सहित स्टेकहोल्डरों के विशाल समूह की आंकड़ों संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इस खंड में रिपोर्टों, क्रॉस–सेक्शनल स्तरीय (राज्यीय और अखिल भारतीय) डेटा के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक सूचनाओं व आंकड़ों का समावेशन है। इस खंड के तहत ग्रामीण बैंकिंग, जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, आवास, आय, सामाजिक–आर्थिक वंचना, भूमि, कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कला और शिल्पकारी आदि प्रमुख विषयों को सम्मिलित किया गया है। वेबसाइट देखने वालों की आसान पहुंच के लिए सूचनाओं को पीडीएफ या एक्सेल प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है। इस खंड को नवीन करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे ताकि ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से मध्य भारत के आदिवासियों पर अधिक से अधिक सूचनाएँ व रिपोर्ट उपलब्ध हो सकें।

शोध इकाई को स्वतंत्र शोध करने व इस प्रकार के शोध करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया जो ग्रामीण निर्धनों, विशेषकर जनजातियों के लिए स्थायी रूप से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए हस्तक्षेप विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थन व सहयोग प्रदान करे

जनजातीय विकास रिपोर्ट

भारत की 81% आदिवासी जनसंख्या मध्य भारत में निवास करती है जोकि प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का भी प्रचुर स्रोत है। भारत की पूर्ण कोयला सम्पदा का 90% और खनिज सम्पदा (जैसे; मैग्नीज, बॉक्साईट, लोहा, ताम्बा, लीड, और जिंक) का 80% हिस्सा इसी क्षेत्र से उपलब्ध होता है। हालांकि, मध्य भारत के जनजातीय जीवन के बारे में बहुत ही कम शैक्षणिक लेख देखने में आते हैं। इसलिए, यह अनुभव किया गया कि बीआरएलएफ को आवश्यक रूप से एक जनजातीय विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें मानव विकास, आजीविका, भाषा, और कला व शिल्प विषयों का समावेश हो।

इसके प्रत्येक खंड में शिक्षा व विषयगत विशेषज्ञों के लेखों की सम्पूर्ण श्रृंखला है। पहला खंड 'मानव विकास' पर आधारित है जिसमें मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में जमीन, जेंडर, स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा, विमुक्त जनजातियाँ, ऊर्जा, व बुनियादी ढांचा जैसे मुद्दों पर सुशासन पक्षों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के दूसरे खंड 'आजीविकाएं' में जनजातियों की आर्थिक स्थिति, जल, कृषि, और सहायक क्षेत्रों व पलायन पर स्थिति को स्पष्ट करता है। अंतिम खंड 'कला व शिल्प' कुछ चुनिन्दा जनजातियों की भाषा, और कला व शिल्प पर एक समेकित दृष्टि प्रदान करता है। रिपोर्ट के वर्ष 2019 के प्रारंभ में प्रकाशित हो जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं।

भारत की 81% आदिवासी जनसंख्या मध्य भारत में निवास करती है। हालांकि, जनजातीय जीवन के बारे में बहुत ही कम शैक्षणिक लेख देखने में आते हैं। बीआरएलएफ की जनजातीय विकास रिपोर्ट में मानव विकास, आजीविका, भाषा, और कला व शिल्प विषयों का समावेश है।

श्री गिरीश प्रभुने व समरसता पुनुरुत्थान गुरूकुलम पर आधारित रिपोर्ट

इस रिपोर्ट में श्री गिरीश प्रभुने, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन अधिसूचित/विमुक्त जनजातियों की सेवा में समर्पित कर दिया उनके, द्वारा स्थापित किये गए संस्थान समरसता पुनुरुत्थान गुरूकुलम की उत्पत्ति व कार्य की प्रगति के बारे में उल्लेख है। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं। पहले भाग में 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक काल में जनसंख्या के एक निश्चित वर्ग, जोकि ब्रिटिशों के नए नैतिक आदेश को स्वीकार करने के अनिच्छुक था, के संबंध में दंडनीय 'अनुशासन और पुलिसिंग' हस्तक्षेप को न्यायसंगत बनाने के लिए घुमंतु जनजातियों के बारे में 'अपराधी जनजातियाँ' नाम के औपनिवेशिक संबोधन देने के बारे में एक विहंगम दृष्टि प्रदान करता है। जबकि स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से 'आपराधिक जनजातियों' की श्रेणी को खारिज कर दिया, लेकिन घुमंतु और अर्ध घुमंतु समूहों को बदनाम करने, हेय दृष्टि से देखने की औपनिवेशिक विरासत जारी रही। गांव में प्रवेश करने की मनाही, स्कूलों और नौकरियों तक पहुंच की मनाही, व घुमंतु और अर्ध घुमंतु समूहों द्वारा विस्थापन और उत्पीड़न की कई कहानियां भारत भर में प्रचलित हैं। इस अध्ययन में भारत के घुमंतु और अर्ध घुमंतु समूहों की पहचान, चाहे वह सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या विचारधारात्मक हो, की स्थापना के संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, और सह चयन व स्थान अंतरण का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन का दूसरा भाग गैर अधिसूचित/विमुक्त जनजातियों व 'पूर्व अपराधी' जनजातियों के बच्चों व युवाओं के सशक्तिकरण हेतु किये गए कार्यों के प्रभाव का लेखाजोखा रखता है। रिपोर्ट में गुरूकुलम की टीम व बच्चों के साथ किये गए साक्षात्कारों का विवरण है जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है व वे कानून का पालन करने वाले, आर्थिक रूप से आत्म निर्भर, व शिक्षित नागरिक बन रहे हैं। रिपोर्ट को मराठी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जायेगा।

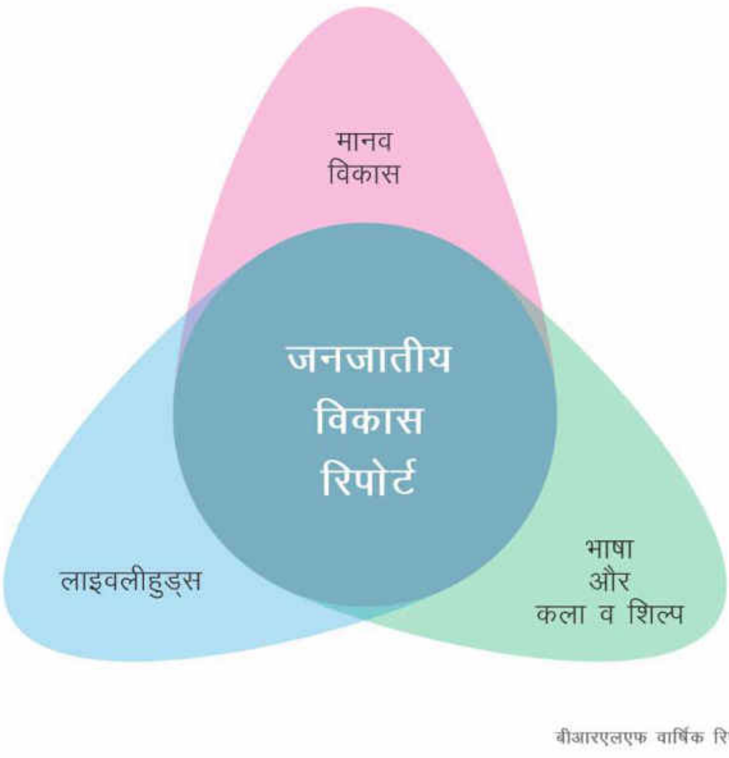

भावी परियोजनाएं

नए साझेदार संगठनों हेतु प्रभाव मूल्यांकन

वृहद् जवाबदेहिता सुनिश्चित करने व हस्तक्षेपों के प्रभावों को आंकने के लिए बीआरएलएफ शोध इकाई द्वारा दस नवीन साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम मूल्यांकन में बेसलाइन सर्वेक्षण को, परियोजना क्रियान्विति से पहले मौजूद स्थिति के मुख्य संकेतांकों का आकलन करने की दृष्टि से किया जाता है। बेसलाइन सर्वेक्षण के परिणामों को परियोजना हस्तक्षेपों के बाद प्राप्त प्रगति व परिवर्तनों को नापने में उपयोग किया जाता है। शोध दल की इसी रणनीति को जारी रखने व परियोजना के दौरान मध्यकालीन मूल्यांकनों को करने की योजना है।

साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनो के सफल अनुभव

अधिकार व हक़, खाद्य सुरक्षा, स्थायी आजीविका सृजन व पलायन को रोकने आदि मुद्दों के संदर्भ में किये गए साझेदार संगठनों के काम के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्य के विस्तार को बताने के लिए बीआरएलएफ द्वारा लघु केस अध्ययन (15–20 पृष्ठ) आयोजित करने की योजना है। केस अध्ययनों की इस श्रृंखला को राष्ट्रीय व राज्य सरकारों, अन्य संगठनों, दानदाता एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, मीडिया व अन्य हितधारकों सहित आमजन को सर्व सुलभ कराने की दृष्टि से संस्थागत वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जायेगा।

नीति ज्ञापन (मेमो)

बीआरएलएफ के शोध प्रकल्प का उद्देश्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों (जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और स्वच्छ भारत) अथवा महिलाओं हेतु राष्ट्रीय नीति, 2016 (जनजातीय महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए) आदि पर नीति स्मरण पत्र (मोनोग्राफ) जारी करना है। इन नीति स्मरण पत्रों का उद्देश्य चालू नीतियों का विश्लेषण करना और नीति निर्धारकों को सुझाव उपलब्ध कराना है।

500 करोड़ के कुल कार्पस फण्ड से 300 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त को प्राप्त करने व जारी करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बीआरएलएफ के समक्ष निजी दानदाताओं के माध्यम से अतिरिक्त 100 करोड़ जुटाने की शर्त रखी थी। करार के सातवें अनुच्छेद के बिंदु 'एफ' के अनुसार,

"कार्पस योगदान या वार्षिक अनुदान या अन्य दानदाताओं द्वारा सह वित्त पोषित आदि निजी माध्यमों से कम से कम 100 करोड़ रुपए जुटाए जाने चाहिए "।

तदानुसार, 100 करोड़ रुपए जुटाने के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बीआरएलएफ द्वारा एक रणनीति तैयार की गयी है। संस्थागत फण्ड जुटाने हेतु बीआरएलएफ ने अनुदान देने वाली संस्थाओं, बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय संगठनों, और सीएसआर अनुदान की दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इस वर्ष संसाधन जुटाने की दिशा में लगभग 967,321 यूरो (भारतीय मुद्रा में 7.16 करोड़) यूरोपियन कमीशन द्वारा आयोजित 'जॉइंट कॉल फॉर प्रपोसल्स फॉर इंडियाः 2016–17 अंडर लॉटः सिविल सोसायटी आर्गेनाईजेशन्स' के तहत प्रस्तावित परियोजना 'स्ट्रेंथनिंग सिविल सोसाइटी एक्शन फॉर ट्रांस्फोर्मिंग लाइव्स ऑफ़ दि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ़ झारखण्ड एंड मध्य प्रदेश' हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से जुटाई गयी।

इस तीन वर्षीय परियोजना की कुल लागत 8.1 करोड़ रुपए (1,074,801 यूरो) है। परियोजना की 90ः लागत यूरोपियन अनुदान से व शेष लागत बीआरएलएफ द्वारा प्रदान की जाएगी। यह परियोजना पांच अन्य बीआरएल सह आवेदकों के साथ मध्य प्रदेश के तीन जिलों के चार ब्लाक व झारखण्ड के दो जिलों के दो ब्लाक के कुल 279 गावों के ग्रामीण निर्धनों, विशेषकर आदिवासी व दलितों, के जीवन व आजीविका में परिवर्तन हेतु लक्षित है।

अनुदान के तीन उद्देश्य इस प्रकार हैंः

1. जलवायु परिवर्तन की समस्या को देखते हुए जल और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्यरत नागरिक सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेपों के परिणामों की गुणवत्ता में वृद्धि करना
2. संसाधन जुटाने, पैरवी करने, व नीति संवाद में नागरिक सामाजिक संगठनों की क्षमताओं का निर्माण करना
3. जल व ऊर्जा क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन संबंधी कार्यक्रम अंतर्वस्तु व रणनीति में नवाचार को प्रेरित करना

बीआरएलएफ ने एक बहु राष्ट्रीय कंपनी वीए टेक वाबाग (VA Tech WABAG) से सीएसआर अनुदान जुटाया है जोकि जल, ख़राब जल प्रबंधन, अलवणीय व पुनर्चक्रण में लगे उद्योगों और नगर निगम निकायों को तकनीकी समाधान उपलब्ध कराती है। वाबाग ने बीआरएलएफ के साथ, पश्चिम बंगाल में ऊषरमुक्ति परियोजना को सरकार के मनरेगा आयुक्त के साथ साझेदारी में क्रियान्वित करने के लिए, संयुक्त रूप से अनुदानित करने के लिए एक करार किया है। वाबाग से सीएसआर फण्ड के तहत 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को पश्चिम बंगाल के छह जिलों में चार वर्ष के भीतर एक विशाल परियोजना को लागू करने हेतु दो गैर सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित कर दिया गया है।

बीआरएलएफ संसाधन प्रबंधन टीम द्वारा निजी व सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों, संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं, आदि के साथ नवीन साझेदारी व सहयोग के आयाम खोजने के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। इंडियन

जुटाई गयी राशि

आयल कारपोरेशन द्वारा सैद्धांतिक रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ग्रामीण आजीविका के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के एक बैच प्रायोजित करने की सहमती दी गयी है और समस्त बातचीत सहमती पत्र हस्ताक्षरित करने से पहले के अंतिम चरण में हैं। बीआरएलएफ द्वारा अनेक सम्मेलनों जैसे कि एनजीओ बॉक्स द्वारा आयोजित 'इंडियन सीएसआर समिट एंड एक्जीबिशन' में आजीविका साझेदार के रूप में गुडगाँव में व बाद में जयपुर व हैदराबाद में आयोजित क्षेत्रीय बैठकों में; और मुंबई में इन्वेंटिकोन द्वारा आयोजित 'स्ट्रेटेजिक सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी समिट 2017' में भाग लिया गया। इन आयोजनों ने अपने कार्य को संभावित कॉर्पोरेट दानदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। साथ ही इस वर्ष बीआरएलएफ की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। बीआरएलएफ नए बने संबंधों को काम में लेगा व हस्तक्षेपों के विस्तार हेतु नवीन साझेदारियों को विकसित करेगा। बीआरएलएफ ने दो प्रमुख परियोजनाओं को एक साथ रखा है; पहली परियोजना है ***'मध्य भारत के आदिवासियों की आजीविका को बदलना'*** जोकि 33 करोड़ रुपए के अनुदान के माध्यम से तीन वर्ष के भीतर दो लाख से अधिक परिवारों तक पहुँचने का लक्ष्य रखती है, व दूसरी परियोजना है ***'ग्रामीण पेशेवरों की क्षमता निर्माण का विस्तार'*** जोकि 6 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ 270 जनजातीय युवाओं तक पहुँच का लक्ष्य रखती है।

2017–18 तक जुटाई गयी राशि का विवरण निम्नवत है:

बीआरएलएफ को स्वीकृत अनुदान व साझेदार सह वित्त; प्रारंभ से लेकर 31.3.2018 तक

दानदाता का नाम	राशि (करोड़ रु. में)	उद्देश्य
टाटा ट्रस्ट एंडोवमेंट फण्ड	10.00	एंडोवमेंट (Endowment) फण्ड
फोर्ड फाउंडेशन कार्पस फण्ड	9.96	एंडोवमेंट (Endowment) फण्ड
यू एन डी पी	0.90	प्रारंभिक सेट–एप लागत हेतु सूक्ष्म अनुदान
रचना क्रेडिट कैपिटल प्रा. लि.	0.10	सामान्य दान
अर्घ्यम	0.93	सहभागी भूजल प्रबंधन साझेदारी
अर्घ्यम	0.36	झरना परियोजना
वाबाग	2.49	जलसंग्रहण परियोजना ऊषरमुक्ति को सहयोग
यूरोपियन यूनियन	7.16	जल, ऊर्जा नवीकरणीय, व जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं हेतु सहयोग अनुदान
कुल	31.90	
साझेदार सह वित्त	220.00	
महा योग	251.90	

भावी परियोजनाएं

1.
मध्य भारत के आदिवासियों की आजीविका को बदलना

33 करोड़ रु. अनुदान के माध्यम से

3 वर्ष के भीतर

2,00,000 से अधिक परिवारों तक

2.
ग्रामीण पेशेवरों की क्षमता निर्माण का विस्तार

6 करोड़ रु. अनुदान के माध्यम से

270 जनजातीय युवाओं तक

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा अंकेक्षण

बीआरएलएफ एक सीएंडएजी अनुपालक प्रतिष्ठान है। 30–11–17 और 20–12–17 के मध्य बीआरएलएफ लेखों का पूर्ण विस्तृत अंकेक्षण भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा किया गया। चार सदस्यों वाली अंकेक्षणकर्ताओं की टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से लेकर वर्ष 2016–17 तक के लेखों का परीक्षण किया गया। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य इस बात की पुष्टि करना था कि क्या फाउंडेशन की गतिविधियाँ कानूनों, मानकों व अधिकारियों के अनुरूप हैं अथवा नहीं; साथ ही आतंरिक नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण, बजटीय मान्यताओं और वित्तीय विवरण अनुपालना व वित्तीय रिपोर्टिंग के परिप्रेक्ष्य में आंतरिक लेखा परीक्षण; अनुबंधों व खरीद–फरोख्त में पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु अंकेक्षण, परियोजना संचालन व बजटीय अनुदानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव वाले व्ययों में औचित्य का परीक्षण; भौतिक लेनदेन से प्राप्त धन के लिए मूल्य का आकलन करना, भंडार व स्टॉक खातों की जांच करना, बैंकिंग और नकद प्रबंधन के मुद्दों और आईटी अनुप्रयोगों संबंधी लेखा परीक्षण करना आदि था।

सीएंडएजी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में टिप्पणी दी गयी कि बीआरएलएफ की लेखा–पुस्तकें संतोषप्रद थीं व रिपोर्ट में प्रक्रियात्मक सुधारों को लेकर कुछ प्रशंसात्मक टिप्पणियां भी प्रस्तुत की गयीं। रिपोर्ट में प्रस्तुत पांच ऑडिट पैरा के संबंध में बीआरएलएफ द्वारा अपने उत्तर उचित टिप्पणियों के साथ तैयार कर सी एंड एजी कार्यालय को भेजने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित करा दिए गए हैं।

वैधानिक अनुपालना

बिना किसी प्रतिकूल दंड कार्यवाही के, बीआरएलएफ सभी लागू कानूनों और विधियों के साथ अनुपालना को जारी रखता है। चालू वर्ष के लिए सभी वैधानिक फाइलिंग निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जा चुकी हैं और क्रम में पाई गई हैं। बीआरएलएफ ने एफसीआरए 2010 के तहत स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन किया था जो कि मई 2018 में प्राप्त हो चुका है। बीआरएलएफ को वर्ष के दौरान ब्याज आय पर स्रोत (टीडीएस) पर कर–कटौती से छूट प्राप्त है।

8

वित्त, अंकेक्षण व अनुपालना

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा अंकेक्षण 43

अनुपालन 44

लेखा अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश 2017–18 49

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/ND/ 351 /2013

I hereby certify that "BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)" Located at 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi has been registered* under SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860.

Given under my hand at Delhi on this 10th day of December Two Thousand Thirteen.

Fee of Rs. 50/- Paid

Seal

Registrar of Societies
New Delhi District

(PRADEEP KUMAR)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA
AND
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

This MoU is being entered into between:

The Ministry of Rural Development, Government of India (to be called MoRD hereafter)

And

Bharat Rural Livelihoods Foundation, an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860 having registration number S/ND/351/2013 and registered office at 38-A Krishi Bhawan, New Delhi (to be called BRLF hereafter)

On this 13th day of January (month) in the year 2014

Whereas the Government of India has decided to

A. Set up Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) as an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860
B. Release Rs. 500 Crore for creating the corpus of the new Society, in two tranches subject to conditions laid down by Expenditure Finance Committee

Whereas BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women, particularly in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning.

Whereas MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

[2]

Whereas through setting up of BRLF, the MoRD desires to look at a new model of partnership wherein Government proactively engages with private philanthropies, public and private sector undertakings (as part of their corporate social responsibility) as well as other stake-holder groups to raise resources to support and scale up proven interventions ofCivil Society Organisations.

And whereas the Government of India decided that the first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be provided to BRLF at the time of its formation and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be provided after two years subject to fulfilment of certain conditions.

NOW THE MoU STANDSAS FOLLOWS:

1. The first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be released to BRLF by the MoRD immediately upon signing of this MoU between the two parties and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be released after two years on fulfillment of the following conditions:.

1. The corpus must be managed by BRLF and invested following prudential financial norms under competent advice. No expenditure should be made from the corpus itself and only the income arising out of the corpus can be utilized to fulfill the objectives of BRLF
2. In the initial years, BRLF may focus on blocks that have at least 20 percent tribal population from the tribal regions of Central India, with preference where possible to areas of higher tribal population. However, BRLF should be open for pan-India implementation also, in later years.
3. BRLF needs to frame its corpus management policy, grant making policy, human resources policy etc. within a definite time frame and well before release of the second tranche.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

[3]

4. To achieve the objectives of BRLF for upscaling civil society action in collaboration with the Government, the most important component of the grant support to Non-Government Organisations /Civil Society Organisations by BRLF will be to meet their cost of additional professionals and institutional costs of supporting the professionals. In this respect, BRLF should bear no more than 80% of the costs. The rest has to be sourced by the grantee NGO/CSO from own or other sources. A cap on the proportion of funds to be spent on administrative matters should be placed by BRLF (other than salary of professionals).

5. The evaluation criteria for assessing the impact of BRLF should be firmed up at the beginning itself so as to enable an independent assessment of the impact at the end of the XII Five Year Plan. The Government will undertake a review of BRLF after five years and in case the outcomes are not forthcoming as projected, the Government will be free to take back the grant and advise dissolution of BRLF.

6. One of the expectations from BRLF is that the experiences of resolving the problems of the tribal and other poor communities should throw up recommendations to the Government on the changes required in programmes and policies. BRLF will periodically send its recommendations to the Government in appropriate ways.

7. For the release of the 2nd tranche of corpus fund amounting to Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore), the following are the conditions to be met by BRLF in addition to the above:

   a. Completion of the process of hiring of the CEO and other core staff
   b. Formulation of basic operating policies, including grant approval & monitoring, HR policy etc
   c. Conclusion of agreements with States regarding flow of programme funds to projects
   d. Selection of first batch of projects and start of work on ground

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

[4]

   e. The CSOs supported by BRLF should be able to reach out to at least 1,00,000 families
   f. At least Rs. 100 Crore (Rupees One Hundred Crore) of private contribution should be mobilized either through corpus contribution or through annual grants or through co-financing by other donors
   g. Improvement in scheme delivery should be documented
   h. Regularity of Board meetings in accordance with the letter and spirit of Byelaws of BRLF
   i. Proper management of Corpus with competent advice

2. Through this MoU, the MoRD commits to provide the following support to BRLF:

   1. Immediately upon signing of this MoU, MoRD will transfer first tranche of its corpus support of Rs. 200 crore to BRLF
   2. MoRD will make every endeavor to foster and facilitate effective working relationship between the State Governments, BRLF and Civil Society Organisations supported by BRLF
   3. MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes
   4. MoRD will support BRLF's endeavor to raise financial resources from non-government sources including private philanthropies, public and private sector undertakings, CSR initiatives etc.
   5. Upon fulfilment of conditions laid down in this MoU, MoRD will transfer second tranche of its corpus support of Rs. 300 crore to BRLF

3. Reporting:

BRLF will report to the MoRD on an annual basis by submitting its audited financial report; corpus/other funds mobilization, investment and utilization report and narrative annual report.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

[5]

4. Visibility:

BRLF should mention the following in its communications and on its letter-head:

"An independent society set up by the Government of India to upscale civil society action in partnership with Government"

5. Indemnity

BRLF and MoRD shall fully indemnify each other of all statutory liabilities arising due to their own failure to comply with statutory obligations. In addition to this general indemnity, BRLF and MoRD shall completely absolve each other from any other liability issues that may be raised against it by any of its clients /customers /partners

6. Force majeure

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure' means an event which is beyond the reasonable control of a party, either BRLF or MoRD and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably, to be considered impossible in the circumstances and includes, but is not limited to war, riots, civil/disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood and other adverse weather conditions, strikes lock-outs of other similar action which are not within the power of the party invoking "force majeure" to prevent confiscation or any other action by the other party.
2. The failure of any party, either BRLF or MoRD, to fulfill any of its obligations hereunder shall not be considered to be breach of, or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the party affected by such event should take all reasonable precautions due care and reasonable alternative measures to the satisfaction of the other party, all with the objectives of carrying out the terms and conditions of this MoU.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

[6]

3. In the event of a force majeure, BRLF and MoRD shall consult with each other, with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

7. Disputes and arbitration:

Any dispute between BRLF and MoRD on any matter that has relevance to the smooth and effective functioning of BRLF and achieving the purposes for which BRLF is set up, shall be settled through mutual discussion. In case they are not able to resolve the dispute among themselves, the Secretary, Rural Development, Government of India will act as the Arbitrator.

Signed on 13 th day of January in the year 2014 by

Designated Official on behalf of
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Signature:
Name: T. Vijay Kumar
Seal: CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Witness
Signature:
Name: Nawal Kishor Gupta
Address: 19/414, Sundaram Khand
Sector-19, Vasundhara,
Ghaziabad, UP-201012

Designated Official on behalf of
Ministry of Rural Development
Government of India

Signature
Name: एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
Seal: ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Witness
Signature:
Name: P. S. PRASANNA KUMAR
Address: P. S. Prasanna Kumar
निजी सचिव/Private Secretary
ग्रामीण विकास मंत्रालय/Min. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन नई दिल्ली/Krishi Bhavan, New Delhi-1

Office of the
Director of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NQ.DIT (E) I 2014-15/ DEL - BR23932 - 08092014 3849 Dated 08/09/2014

NAME & ADDRESS: BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF]
38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001

Legal Status : Society
PAN NO : AACAB2971N
GIR NO : B-1662

Sub:-ORDER OF REGISTRATION U/S 12A. READ WITH SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT. 1961

1. An application in Form No. I0A seeking Registration u/s 12A was filed on ...12/03/2014...
2. The Trust / Society / Non profit company was constituted by deed of trust, memorandum of association / instrument dated 10/12/2013 indicating its object.
3. After considering the material available on record, the applicant trust / society / company is granted registration as ' General Public Utility ' Trust / society / company and the provisions of Sections 11 and 12 shall apply in the case from A. Y. 2014-15. The trust/society/NPO is registered at S. No. DEL - BR23932 - 08092014 of the register maintained in this office. The registration is granted subject to the following conditions :

Conditions:

I. Order u/s 12A(1)(a) read with section 12AA(1) (b) does not conform any right of exemption upon the applicant u/s 11, 12 and 13 of the Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provision of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act 1961.

II. The Trust/Society/Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these audited in accordance with the provision of section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in memorandum shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered / Designated Office of the Organization.

III. Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of the Income Tax Act 1961.

IV. The trust/Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the act.

V. The trust/Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

VI. The registration u/s. 12AA of the I.T. Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction/s. 80G.

VII. This certificate cannot be used as a basis for claiming non - deduction of tax at source in respect of investments etc relating to the Trust/Institution.

VIII. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account and such Bank Account Number shall be communicated to this office.

IX. No change in the terms of Deed of the Trust shall be effected without due procedure of law i.e. by order of the jurisdictional High Court and its intimation shall be given immediately to this office. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.

X. No asset shall be transferred without the knowledge of the undersigned to anyone, including to any Trust / Society / Non profit Company etc.

XI. The registred office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the national capital territory, Delhi except with the prior approval of the DIT(E), Delhi.

XII. If later on it is found that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the Registration so granted is liable to be cancelled as per provisions u/s section 12AA(3) of the Act.

XIII. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time, if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/Institution are no genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/Institution.

(SUNITA PURI)
Director of Income Tax (Exemption)
DELHI

Copy to:
1. The applicant as above
2. The Assessing Officer

(M.K.SHARMA)
Income Tax Officer(Exemp)(HQ)
For Director of Income Tax (Exemption) DELHI

Pratyaksh Kar Bhawan,
Civic Centre, J. L. Nehru Marg,
New Delhi-110002

Office of the
Commissioner of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NQ.CIT (E) I 2015-16/ DEL - BE26004 - 15052015/6275 Dated 15/05/2015

NAME & ADDRESS: BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF]
38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001

Legal Status Society
PAN NO AACAB2971N
GIR NO B-1662

Sub:-ORDER UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

On verification of the facts stated before me/hearing before me, I have come to the conclusion that this organization satisfies the conditions u/s 80G of the Income Tax act, 1961. The institution/Fund is granted approval subject to the following conditions:-

(i) The Donee institution shall forfeit this benefit provided under the law, if any of the conditions stated herein are not complied with/abused/whittled down or in any way violated.

(ii) This exemption is valid for the period from A.Y.2015-16 onwards till it is rescinded and subject to the following conditions

Conditions:

(i) You shall maintain your accounts regularly and also get them audited to comply with sec. 80G (5)(iv) read with section 12A(1)(b) and 12A(1)(c) and submit the same before the assessing officer by the due date as per section 139(1) of the Income tax Act 1961.

(ii) Every receipt issued to donor shall bear the number and date of this order and shall state the date up to which this certificate is valid A.Y.2015-16 onwards till it is rescinded.

(iii) No change in the deed of the trust/association shall be affected without the due procedure of Law and its intimation shall be given immediately to this office.

(iv) The approval to the institution/fund shall apply to the donations received only if the fund/institution, established in India for charitable purpose, fulfills the conditions as laid down in section 80G5(i), (ii), (iii), (iv), (v) & (5B) of the Income Tax Act 1961.

(v) This office and the assessing officer shall also be informed about the managing trustees or Manager of your Trust/Society/Non Profit Company and the places where the activities of the Trust/Institution are undertaken/likely to be undertaken to satisfy the claimed objects.

(vi) You shall file the return of income of your fund/institution as per section 139(1)/(4A)/(4C) of the Income Tax Act, 1961.

(vii) No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.

(SUNITA PURI)
Commissioner of Income Tax (Exemptions)
DELHI

Copy to:
1. The applicant as above
2. The Assessing Officer

(PANKAJ SACHAN)
ACIT(Exemp)(HQ)
For Commissioner of Income Tax (Exemptions) DELHI

Asstt. Commissioner of Income Tax
(Exemptions) (Hqrs.) Room No. 2620
26th Floor, Block-E-2,
Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre
J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

लेखा अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश 2017–18

LODHA & CO
Chartered Accountants

12, Bhagat Singh Marg, New Delhi - 110 001, India
Telephone : 91 11 23710176 / 23710177 / 23364671 / 2414
Fax : 91 11 23345168 / 23314309
E-mail : delhi@lodhaco.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Members of
Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, the Income & Expenditure Account, Receipt & Payment Account for the year ended on that date and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the society in accordance with the accounting practices followed as per the guidelines prescribed by the Government of India.

This responsibility includes the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Society's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Society's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

We further report that we have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. In our opinion proper books of

Kolkata Mumbai New Delhi Chennai Hyderabad Jaipur

accounts have been kept by the Society as far as appears from our examination of those books. We also report that the annexed statements of accounts are in agreement with the said books of accounts.

We also made an attempt to examine the transactions on test basis for regularity, reasonability, prudence and also the impact of various laws or underlying grant conditions with a view to appraise the propriety of expenditure. In our opinion and according to the information and explanation given to us, having regards to the explanation that certain items purchased/ services procured are of special nature for which suitable alternative sources do not exist for obtaining comparative quotations and in view of exigencies of operations; and for which appropriate management approvals have been obtained, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the society.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with the schedules thereon give a true and fair view in accordance with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the society as at 31st March 2018.
b. In the case of Income and Expenditure Account, of the deficit of the period ended on that date.
c. In the case of Receipt and Payment Account, of the cash flows during the period.

Further we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
b. In our opinion, proper books of account as required under Societies Registration Act,1860 has been kept by the society so far as appears from our examination.
c. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with this Report are in agreement with the books of account.
d. In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account, comply with the relevant accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India.

For Lodha & Co.
Chartered Accountants
FRN : 301051E

Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462

Place : New Delhi
Date: 23/07/2018

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2018

Amount in Rs.

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2017-18	2016-17
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	206,541,805	205,297,782
Grant-in-Aid	C	357,336	511,401
Reserve & Surplus	D	267,974,157	286,995,839
Current Liabilities & Provisions	E	1,978,330	1,432,573
Total (Rs.)		**2,476,851,628**	**2,494,237,595**
ASSETS			
Fixed Assets	F	2,675,774	1,793,209
Investments	G	2,160,000,000	2,160,000,000
Investment of Endowment Fund	H	203,181,172	201,926,172
Current Assets			
Cash & Bank Balance	I	21,237,012	44,042,983
Other Current Assets	J	89,757,670	86,475,231
TOTAL (Rs.)		**2,476,851,628**	**2,494,237,595**

Significant Accounting Policies — P

Contingent Liabilities & Notes to Accounts — Q

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049 BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 23/07/2018

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

Amount in Rs.

INCOME	Sch	2017-18	2016-17
Grants, Subsidies & Donations	K		
Grants		12,749,406	3,331,514
Other Income	L	201,640,188	194,622,304
TOTAL		**214,389,594**	**197,953,818**
EXPENDITURE			
Expenditure			
Program Expenses	M	209,420,085	172,334,466
Establishment Expenses	N	21,282,662	17,011,724
Other Administrative Expenses	O	1,529,499	1,626,313
Depreciation	F	1,179,030	690,791
		233,411,276	191,663,294
Excess of Income over Expenditure		(19,021,682)	6,290,524
TOTAL		**214,389,594**	**197,953,818**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 23/07/2018

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049 BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018

(Amount in Rs.)

Receipts	2017-18	2016-17	Payments	2017-18	2016-17
Opening Balance			**Investments in Bank Fixed Deposits**		
Cash	-	-	- from Income from MORD Corpus Fund	-	10,000,000
Bank	44,042,983	47,511,067	- from TATA Endowment Fund	1,180,000	1,300,000
			- from Ford Foundation Fund	75,000	99,576,172
			Fixed Assets Purchased		
Ford Foundation Trusts Endowment fund	-	99,576,172	- from Income from MORD Corpus Fund	2,101,623	968,390
Grant from ARGHYAM	6,165,000	2,173,000	- from Tata Trust Endowment fund	47,225	89,525
Grant from VATECH Wabag	5,225,920	-			
Grant from UNDP		-	TDS deducted & Deposited	2,967,294	1,898,547
			Employees Providend fund	1,004,179	642,088
Interest received on Fixed Deposit with Banks (Net of TDS)	144,937,048	141,102,896			
Interest accrued on Fixed Deposits	43,699,039	48,939,277	Tata Trust Endowment Fund Expenses	7,454,063	7,600,315
TDS Recoverable Received (2014-15)	22,893,470	-	Grant To Project Partners	204,733,802	144,104,295
Interest received on Saving Bank Account	3,084,070	4,950,129	Payments & Advances Given For Program Expense	11,443,497	15,277,933
		-	Establishment Expense	17,395,360	17,385,705
Refund of Advances Given For Program Expenses	840,113	-	Other Administrative Expense	1,414,788	1,707,388
Sponsorship Fee for CPRL Course	140,000	340,000			
General Donation	25,000				
Miscellaneous Receipts	1,200	800			
			Closing Balance		
			a) Cash		-
			b) Bank	21,237,012	44,042,983
TOTAL	271,053,843	344,593,341	TOTAL	271,053,843	344,593,341

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 23/07/2018

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

(Amount - Rs.)

PARTICULARS		AMOUNT (2017-18)		AMOUNT (2016-17)
SCHEDULE A'- Corpus Fund				
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund		2017-18		2016-17
(i) Ford Foundation Endowment fund (FCRA Funds)				
Opening Balance		99,649,760		-
Grant received during the year	-			99,576,172
Add: Interest (Gross) Earned during the year	7,208,180		1,084,182	
Add: Accrued Interest Received during the year	283,797		-	
Less: TDS	29,369		64,510	
Less:-Interest accrued but but not due and received	319,629		283,797	
Net Interest received	7,142,979		735,875	
Less: Available for Utilization as income for the year (90% of net interest received)	6,427,979		662,287	
Balance interest accumulated in the fund		715,000		73,588
Closing balance of Ford Foundation Endowment Fund		100,364,760		99,649,760
(ii) Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance		105,648,022		104,628,636
Interest Earned (Gross) during the year	8,697,650		8,619,701	
Less: TDS	8,459		131,589	
Less: Interest accrued but not due and received	757,930		757,707	
Net Interest	7,931,261		7,730,405	
Less: Utilization during the year				
- Human Resource / Personnel Cost	99,466		886,584	
- Aid 360 Software & Server Expenses	77,290		170,544	

- Program Expenses	3,455,065		3,249,914	
- Travel Cost	3,392,963		2,562,645	
- Office Running Cost	1,143,843		730,628	
Total Utilization	8,168,627		7,600,315	
		(237,366)		130,090
Closing Balance of Endowment Fund		105,410,656		104,758,726
Add: Adjustments for				
TDS	8,459		131,589	
Interest Accrued	757,930		757,707	
Prepaid Expenses	-	766,389	-	889,296
Closing Balance of Tata Trust Endowment Fund		106,177,045		105,648,022
Grand Total		206,541,805		205,297,782

Note: 15% of the annual interest income earned on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly against Rs. 9396967/- (8688967+ 708000) an amount of Rs.14,10,000/- has been depsoited in FDR on 11/07/2018.

SCHEDULE C - Grant in Aid		2017-18		2016-17
Capital Grants				
United Nations Development Programme				
Opeing Balance	446,983		612,766	
Received during the year	-		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased	89,647	357,336	165,783	446,983
		357,336		446,983
Other Grants				
ARAGHYAM				
Opening Balance	64,417			64,417
Less : Transfer to Other Income	64,417	-		
		357,336		511,400

SCHEDULE D - Reserve & Surplus		2017-18		2016-17
Surplus				
Opening Balance		286,995,839		280,705,315
Add: Surplus of Income over Expenditure for the year		(19,021,682)		6,290,524
Closing Balance		267,974,157		286,995,839

SCHEDULE E - Current Liabilities & Provisions		2017-18		2016-17
i. Current Liabilities				
TDS Payable		360,220		251,292
PF Payable		201,642		110,626
Expenses Payable		224,176		454,191
Payable to staff		-		2,791
ii. Provisions				
Employee Benefits				
- Long Term Defined Benefits Plan (Earned Leave)	379,753	-	252,742	
- Short Term Benefits (Encashment of Leave)	248,539		101,931	
- Long Term Defined Benefits Plan (Gratuity)	561,000		259,000	
- Short Term Benefits (Gratuity)	3,000	1,192,292	-	613,673
Total		1,978,330		1,432,573

SCHEDULE G - Investments		2017-18		2016-17
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		2,000,000,000
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Invested out of interest on above		160,000,000		160,000,000
Investments in FDR with Yes Bank				
Total		2,160,000,000		2,160,000,000

SCHEDULE H - Investments of Endowment Fund		2017-18		2016-17
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		100,000,000
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Invested out of interest on above		2,350,000		2,350,000
Investments in FDR with RBL Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		1,180,000		-
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Funds)				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		99,576,172		99,576,172
Investments in FDR with Yes Bank				
Invested out of interest on above		75,000		-
Total		203,181,172		201,926,172

SCHEDULE I - Cash & Bank Balances		2017-18		2016-17
Cash in Hand		-		-
Bank Balances in Savings Accounts with YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch				
Account No. 000393900000039 (FCRA Designated Account)	3,797,499		735,875	
Account No. 000394600000384	1,924,676		40,943,339	
Account No. 000394600000391	2,260,840		1,921,815	
Account No. 000394600001349	2,246,258			
Account No. 000394600000443	400,605	10,629,878	441,954	44,042,983
Bank Balances in Savings Accounts with RBL Bank, New Delhi Branch				
Account No. 309003418585		10,607,134		
Total		21,237,012		44,042,983

SCHEDULE J - Other Current Assets		2017-18		2016-17
Grant to Project Partners- Unutilized		15,752,302		8,665,154
Interest Accrued on Fixed Deposits with Bandhan Bank and RBL Bank				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, GOI	67,883,152		53,104,777	
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	757,930		757,707	
Interest Accrued on Fixed Deposits with Yes Banks				
-Ford Foundation Endowment fund	319,629	68,960,711	283,797	54,146,281
Advance Recoverable		149,689		194,517
Prepaid Expenses (Warranty of Server)		48,675		-
Grant receivable from ARGHYAM		2,492,000		1,158,514
Security Deposit (Rent)		200,000		200,000
Tax Deducted at Source (2014-15)		-		19,994,301
Tax Deducted at Source (2015-16)		1,452,060		1,452,060
Tax Deducted at Source (2016-17)		664,405		664,405
Tax Deducted at Source (2017-18)		37,828		
Total		89,757,670		86,475,231

SCHEDULE K. Grants, Subsidies & Donations		2017-18		2016-17
Grant From ARGHYAM-PGWM		5,998,486		3,331,514
Grant From ARGHYAM-Springshed		1,500,000		
Grant From VATECH-WABAG		5,225,920		
General Dongtion		25,000		
Total Grants		12,749,406		3,331,514

SCHEDULE L. Other Incomes		2017-18		2016-17
Saving Bank Interest	3,084,070		4,950,129	
Add:				
-Interest earned on Araghyam Grant in 2016-17	64,417			
Less:				
- 10% reinvested to Ford foundation Endowment Fund	12,401		43,908	
- Transfer to Araghyam Grant	-		64,417	
- Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	71,845	3,064,241	38,620	4,803,184
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	187,778,375		186,687,402	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,625,805		8,581,082	
- Ford foundation endowment fund	7,084,166		645,097	
Total	203,488,346		195,913,581	
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	702,599		29,680	
Less: Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	8,625,805	194,159,942	8,581,082	187,302,819
Interest On Income Tax Refund		2,899,169		-
Sponsorship Fee For CPRL Course		140,000		340,000
Interest earned by the Grant Partners		1,375,636		1,929,717
Miscellaneous Income		1,200		166,583
Reversal of excess provision of Grauity		-		80,000
Total		201,640,188		194,622,303

SCHEDULE M. Program Expenses		2017-18		2016-17
Expenses incurred from Grants				
Ground Water Management Project with ARGHYAM				
Field Facilitation Support for Implementing Partner (ARGHYAM)	4,074,955		2,863,046	
Implementation Support for PGWM (ARGHYAM)	1,453,132		416,612	
Partners Meeting (program planning & review) (ARGHYAM)	104,887	5,632,974	51,856	3,331,514
Springshed Project with ARGHYAM				
Implementation Support for SpringShed	872,518	872,518		-
Watershed Project with VATECH				
Field Facilitation Support for Implementing Partner	2,462,594			
Field Implementation Support for Implementing Partner	465,000	2,927,594		-
FORD Program Cost				
Human Research Development Report Expenses	1,430,124			
Capacity Building Expense	1,250,501			
Consultancy & Evaluation Fees	294,330	2,974,955		-
MoRD Program Cost				
Field Implementation Support to CSO Partners	151,389,707		151,772,463	
Capacity Building Expense	15,658,632		3,124,452	
Field Implementation Support to Watershed Partners	16,587,000		-	
Field Facilitation Support to institutional partners for Implementing Partners	4,504,912		9,596,917	
Event, Meetings and Workshop Expenses	2,372,245		427,087	
Expenditure on TCS Aid 360 & Server	1,983,087		2,758,383	
Pilot & Innovations	1,172,433		-	
State Govt Partnership	905,545		39,804	
Travel Expenses	857,342		487,353	
Consultancy & Evaluation Fees	947,769		464,315	
Field Facilitation Support to Technical support partners for Implementing Partners	363,553		-	
Organisation Development training to staff	-		226,928	
Information, Education and Communication Material	117,036		105,250	
Human Research Development Report Expenses	152,783			
		197,012,044		169,002,952
Total		**209,420,085**		**172,334,466**

SCHEDULE N. Establishment Expenses		2017-18		2016-17
MoRD Establishment Cost				
Salary		18,034,277		13,929,523
Employer Contribution to Provident Fund		1,063,613		765,549
Recruitment expenses		749,272		936,844
Earned Leave expenses		688,446		474,326
EPF Admin Charges		56,809		55,965
Gratuity Expenses		305,000		-
Medical Insurance & Related Expenses		131,728		140,776
Vehicle Running maintenance Expenses		194,407		622,917
Books, Periodicals & Publications		22,412		20,844
Consultancy Fees for PF calculation		25,780		2,300
Relocation expenses		10,918		62,680
Total		**21,282,662**		**17,011,724**

SCHEDULE O. Other Administrative Expenses		2017-18		2016-17
MoRD Other Establishment Cost				
Office Rent	200,000.00			1,300,000
Audit Fees	135,700.00			143,694
Communication Expenses	32,353.00			72,357
Miscellaneous Expenses	-			10,356
Office Maintenance Expenses	69,693.00			60,718
Stationery expenses	-			15,768
Water & Electricity expenses	20,753.00	458,499		23,420
FORD Other Establishment Cost				
Office Rent	1,021,000.00			
Office Maintenance Expenses	50,000.00	1,071,000		-
Total		**1,529,499**		**1,626,313**

Schedule F.

Schedule F-a

MoRD - FIXED ASSETS as on 31.03.18

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2017	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2018
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	652,779	225,898	1,593,103	-	2,471,780	1,005,137	1,466,643
Office Equipment	15%	126,111	10,125	54,238	-	190,474	24,503	165,971
Furniture & Fixture	10%	193,913	119,296	101,358	-	414,567	36,389	378,178
Sub Total		972,803	355,319	1,748,699		3,076,821	1,066,029	2,010,792
INTANGIBLE								
Computer Software	33%	14,798	-	-	-	14,798	4,883	9,915
Sub Total		14,798	-	-		14,798	4,883	9,915
Total		987,601	355,319	1,748,699		3,091,619	1,070,912	2,020,707

UNDP Sponsor Project - FIXED ASSETS as on 31.03.18

Schedule F-b

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2017	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2018
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	77,633	-	-	-	77,633	46,580	31,053
Office Equipment	15%	106,888	-	-	-	106,888	16,033	90,855
Furniture & Fixtures	10%	259,034	-	-	-	259,034	25,903	233,131
Sub Total		443,555				443,555	88,516	355,039
INTANGIBLE								
Software	33%	3,428	-	-		3,428	1,131	2,297
Sub Total		3,428				3,428	1,131	2,297
Total		446,983				446,983	89,647	357,336

TATA Sponsor Project - FIXED ASSETS as on 31.03.18

Schedule F-C

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2017	Addition		Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2018
			More than 180 Days	Less than 180 Days				
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	123,683	-	4,200	-	127,883	75,470	52,413
Office Equipment	15%	79,043	26,500	-	-	105,543	15,831	89,712
Furniture & Fixtures	10%	155,898	8,025	8,500	-	172,423	16,817	155,606
Sub Total		358,624	34,525	12,700		405,849	108,118	297,731
INTANGIBLE								
Software	33%	-		-				-
Sub Total		-		-	-		-	-
Total		358,624	34,525	12,700	-	405,849	108,118	297,731

TOTAL TANGIBLE	1,774,982	389,844	1,761,399	-	3,926,225	1,262,663	2,663,562
TOTAL INTANGIBLE	18,226	-	-	-	18,226	6,014	12,212
GRAND TOTAL	1,793,208	389,844	1,761,399	-	3,944,451	1,268,676	2,675,774

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

LODHA & CO New Delhi Chartered Accountants

SCHEDULE-P

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. **Legal Status and Operation:**

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

2. **Corpus Fund:**

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India has released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores will be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. **Summary of Significant Accounting policies:**

3.1 **Accounting Convention**

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

3.2 **Basis of preparation**

The financial statement has been prepared following accrual basis of accounting except interest on saving banks.

3.3 **Use of Estimates**

Lodha & Co. Chartered Accountants New Delhi

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049 Bharat Rural Livelihoods Foundation

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.4 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as per AS-12 – Accounting for Government Grants issued by Institute of Chartered Accountants of India.

i. Grants are recognized only when there is reasonable assurance that BRLF will comply with the conditions attached to them and grants will be received.
ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.
iii. Grants received for specific purposes are utilized for the purpose of its release.
iv. Grants utilized to the extent of and in accordance with the grant conditions and project objectives are treated as Income in the Income & Expenditure Account.
v. Unutilized grants are treated as Liabilities in the Balance sheet.
vi. Grant related to specific depreciable Fixed Assets treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged.

3.5 Income Recognition

Interest on Fixed deposit with banks is recognized on accrued basis and that on saving banks is recognized on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets include inward freight, duties & taxes (non refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

A. Tangible Assets

a. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.
b. Depreciation of Assets purchased out of Capital Grant-in-Aid have been treated as Non Operating income and shown under "Miscellaneous Income".

B. Intangible Assets

Lodha & Co. New Delhi Chartered Accountants

Bharat Rural Livelihoods Foundation BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

C. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investment

a. Investment: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds considered as long term and disclosed under investment.

b. Investment of Endowment Fund: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term and classified under Investment of Endowment Fund.

c. Other investments: Other fixed deposit with banks shall be classified as cash and cash equivalent because of readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits

Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan

The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the profit and loss account on accrual basis

iii. Defined Benefits Plan

a. The provision in relation to Gratuity is made through Actuarial Valuation.

b. Provision on employee discontinuance basis, in relation to Earned Leaves is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to maximum 66 days in aggregate, beyond which employee may make encashment.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

ii. Contingent Liability and Assets

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society shall fulfill the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah	**Pramathesh Ambasta**	**Sharad Bhargava**
President	**Chief Executive Officer**	**Chief Finance Officer**

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

SCHEDULE-Q

CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the management,

a. Current Assets are approximately of the value stated if realized in the ordinary course of business except otherwise stated.

b. BRLF had received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships'. As per the grant conditions the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year society has earned interest of Rs. 86,97,650/- against Endowment Grant received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs.81,68,627/- has been utilized during the year 2017-18 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

c. BRLF had received Rs. 9,95,76,172/- ($ 1,500,000) from Ford Foundation as Endowment Fund. As per grant condition, BRLF would be permitted to utilize a maximum of 90 percent of revenue earned from the Endowment Fund for the purpose to meet the operational cost and the remaining 10% of the Fund's income shall be re-invested in the Fund in annual fixed deposit.

During the year society has earned interest of Rs. 72,08,180/- against the Endowment grant received from Ford Foundation. Out of total interest received, an amount of Rs. 7,15,000/- has been re-invested in the fund in fixed deposit by BRLF.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

d. BRLF has entered into MOU with ARGHYAM a registered public charitable trust to widen and deepen practice on groundwater management and sanitation. BRLF received Rs. 46,65,000/- being 2nd & 3rd instalment as per MOU against which Rs.11,58,514/- pertains to Grant Receivable for 2016-17 and expenses incurred Rs. 56,32,974/- during the current financial year. An amount of Rs.24,92,000/- being 4th instalment has been disclosed as receivable from ARGHYAM in Schedule – J (Other Current Asset).

e. BRLF has entered into MOU with ARGHYAM a registered public charitable trust to widen and deepen practice on Spring-shed Development Program. An amount of Rs. 8,72,518/- has been spent against ARGHYAM grant during the year whereas BRLF spent Rs.8,72,517- being the 50% amount of total expenditure as per the MoU signed between BRLF & Arghyam. BRLF received Rs. 15,00,000/- as first & second instalment as per MOU from ARGHYAM. After adjusting expenses incurred of Rs.8,72,518/-, the balance amount Rs.6,27,482/- has been disclosed as surplus in Income & Expenditure and transferred to Reserve & Surplus.

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

f. BRLF has entered into MOU with VA Tech WABAG Ltd., a company registered under Companies Act,1956 to widen and deepen practice on Watershed Project. An amount of Rs. 29,27,594/- has been spent against VA Tech WABAG Ltd. grant during the year. BRLF received Rs. 52,25,920/- first instalment on signing of MOU. After accounting for expenses

incurred of Rs. 29,27,594/-, balance amount of Rs 22,98,326/- has been disclosed as surplus in Income & Expenditure and transferred to Reserve & Surplus.

II. Fixed assets purchased having closing written down value of Rs. 3,57,336 /- from grant of United Nations Development Program (UNDP) now vest with BRLF as per the condition of grant term.

III. BRLF has been issued with a certificate of lower deduction of Tax at source on interest income by the Income tax department.

IV. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2018

V. Figures have been rounded off to nearest rupees.

VI. Previous year figures have been regrouped or rearranged wherever necessary.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah	**Pramathesh Ambasta**	**Sharad Bhargava**
President	**Chief Executive Officer**	**Chief Finance Officer**

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

आउटरीच संबंधी विस्तृत आंकड़े

विवरण / आउटरीच संकेतक	डीए	प्रसारी	वाय सीडीए	पश्चिम ओड़िसा कंसोर–शियम	वीएसके	सृजन	सेवा	लूपिन	परहित	सिनी	एकेआरएसपी	बायफ	प्रदान	एफईएस	मार्च 2018 तक कुल आउटरीच
परियोजना आउटरीच															
कुल शामिल जिले	1	2	2	2	2	9	2	4	3	12	10	7	6	6	59
कुल शामिल ब्लाक	1	5	2	7	2	23	3	8	4	20	21	10	15	7	128
कुल शामिल ग्राम पंचायतें	6	18	22	26	33	305	20	96	102	304	335	66	180	140	1653
कुल शामिल ग्राम	30	63	126	138	169	781	106	191	274	816	540	258	1688	732	5912
कुल परिवार	5219	11874	11472	15000	11994	42941	18558	12396	22426	109813	59976	56067	124208	31301	533245
महिला भागीदारों की संख्या	5219	10544	9481	15738	9972	39052	9633	3198	19618	110631	33879	11929	124208	12448	415550
कुल अनुसूचित जनजाति परिवार	4191	4438	8030	13070	6157	23507	10759	12396	22430	96910	59349	45352	67182	24091	397862
स्वयं सहायता समूह व माइक्रो एंटरप्राइस															
कुल स्वयं सहायता समूह	94	1202	449	916	256	2225	2074	969	842	6718	4153	423	10404	421	31146
समूहों में कुल सदस्य	2779	11260	4848	9597	3072	24499	26646	9797	10104	93969	30533	5442	124208	5567	362321
समूहों में अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	1000	56	2787	4935	1591	17534	8182	9797	10104	80331	30533	4826	67182	1721	240579
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सम्बद्ध समूहों की संख्या	313	0	175	452	204	1443	282	0	410	6017	1823	58	8001	216	19394
बैंकों से सम्बद्ध समूहों की संख्या	66	0	38	476	204	563	548	255	215	5514	1615	93	9274	221	19082
संस्था विकास															
नए माइक्रो एंटरप्राइस शुरू करने वाले परिवारों की संख्या	3171	0	383	596	0	94	572	1880	257	1114	1145	58	0	35	9305
अन्य ग्राम आधारित संस्थाओं व समुदाय आधारित संगठनों की गठन संख्या	0	78	168	331	213	293	159	67	639	461	1238	176	797	502	5122
प्रोन्नत किसान उत्पादक संघ की संख्या	0	0	6	8	2	6	3	4	0	28	7	21	2	9	96
कृषि सुधार															
उन्नत कृषि (उन्नत बीज, विविध किस्म, उन्नत व्यवहार, बीज उपचार आदि) हेतु कुल परिवार	1807	12795	1727	7561	2551	30406	4651	1878	2181	154139	25191	12204	60079	20641	337811
एसआरआई विधि अपनाने वाले कुल परिवार	931	7294	485	3318	1402	1489	374	609	0	91015	10169	2347	43444	1416	164293
सिस्टम ऑफ व्हीट इन्टेन्सीफिकेशन अपनाने वाले कुल परिवार	0	13	0	2	604	0	0	119	31	67795	66	337	11108	81	80156
गैर कीटनाशक कृषि / संरक्षण कृषि अपनाने वाले कुल परिवार	656	478	837	3530	382	157	1661	961	2249	0	16073	2302	2380	1042	32708
उन्नत सब्जी उत्पादन अपनाने वाले कुल परिवार	1125	4870	2181	6636	551	1453	1172	587	495	97947	2315	3578	36263	1666	160839
कुल विकसित बागवानी इकाइयाँ	118	0	120	497	6	532	238	3357	13	6052	4334	3539	0	315	19121
बागवानी से जुड़े कुल परिवार	118	0	221	497	65	3303	357	4382	4548	6052	4334	3539	4275	2535	34226
धान की लाइन ट्रांसप्लांटिंग विधि अपनाने वाले परिवार	736	525	4473	5378	573	867	1801	1945	0	0	9666	4510	0	1600	32074
लाइन ट्रांसप्लांटिंग के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	155	40	2260	1976	90	14	764	100	0	0	1773	1211	0	327	8710
उन्नत दलहन व तिलहन उत्पादन में जुड़े कुल परिवार	67	157	3468	3223	943	23212	1210	1337	1015	39495	2282	6095	59624	1179	143307
उन्नत दालो / तिलहन / बाजरा उत्पादन में शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	3	17	1006	1146	221	6389	361	468	348	9831	393	2111	6047	391	28733
किचन गार्डन से जुड़े कुल परिवार	334	120	1841	3288	219	174	3504	20	3971	1992	7623	3682	0	3141	29909
पशुधन															
डेयरी विकास के तहत जोड़े गए कुल परिवार	0	0	0	601	0	1448	205	216	0	38256	606	6830	0	20	48182
बकरी पालन के तहत जोड़े गए कुल परिवार	1513	2670	128	1727	4500	2139	185	317	34	49298	15157	164	8570	34	86436
कुक्कुट इकाई विकास के तहत जोड़े गए कुल परिवार	0	0	112	1026	5200	0	220	46	173	0	797	3	854	218	8649
घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन से जुड़े परिवार	1101	3961	91	3036	1210	7	542	408	1682	293	2059	194	5053	778	20415
मछली पालन से जुड़े परिवार	557	1789	0	693	4366	2	281	29	0	482	9	526	0	1415	10149

विवरण/आउटरीच संकेतक	डीए	प्रसारी	वाय सीडीए	पश्चिम ओड़िसा कंसोर–शियम	वीएसके	सृजन	सेवा	लूपिन	परहित	सिनी	एकेआरएसपी	बायफ	प्रदान	एफईएस	मार्च 2018 तक कुल आउटरीच
भूमि व जल संसाधन विकास															
पौधारोपण के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	0	0	96	91	2	0	0	170	34	0	15	281	1914	239	2842
लघुवनोत्पाद मूल्य श्रृंखला से जुड़े परिवार	0	0	799	8779	301	1950	942	0	2136	3684	200	5424	5600	45	29860
कुल जल संचयन संरचनायें	0	173	48	287	1891	73	99	85	189	1654	512	1191	4266	530	10998
जल संचयन संरचनाओं से लाभान्वित परिवार	0	8	1520	2091	3389	425	1314	165	5696	102900	2314	3392	13600	4457	141271
खोदे गए कुएं	0	0	163	79	120	31	58	126	74	715	55	539	139	73	2172
खोदे गए कुओं से लाभान्वित परिवार	0	0	163	79	119	23	58	258	821	23	55	1307	1294	340	4540
भूमि विकास जैसे मेढ़बंदी के तहत शामिल क्षेत्र	0	0	889	625	47	434	54	467	343	1956	4507	1751	1169	1235	13478
निश्चित सिंचाई के तहत शामिल सकल क्षेत्र (हेक्टर में)	0	0	191	943	212	275	234	518	1260	6989	9912	1128	171	1031	22865
क्षमता निर्माण															
समुदाय संदर्भ व्यक्तियों का निर्माण	44	242	37	339	64	1207	536	15	2617	602	408	61	1297	203	7672
महिला संदर्भ व्यक्तियों का निर्माण	19	220	10	278	22	1034	139	1	1420	226	177	4	708	37	4295
प्रशिक्षित समुदाय सदस्य	5232	14537	8308	23758	7420	35590	8824	8040	16487	229962	160762	6290	189325	14072	728607
पंचायती राज सदस्य प्रशिक्षित	273	364	228	807	349	95	1197	899	2007	0	2105	667	615	2358	11964
अधिकार व हकों तक पहुँच															
वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित परिवार	0	0	205	789	1113	0	0	0	453	520	0	1412	0	0	4492
वनाधिकार अधिनियम के तहत दावों का निपटान	0	0	118	788	557	0	0	0	221	421	0	7	0	1	2113
स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े परिवार	34	0	869	6041	683	10483	1578	1116	5929	40948	5683	13898	9826	3476	100564
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े परिवार	4354	2039	2054	7271	0	650	1339	841	5364	34878	1124	4929	3466	861	69170
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े परिवार	0	559	194	6127	0	325	332	559	3287	27224	365	2125	0	296	41393
प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े परिवार	6996	378	2908	13529	715	8309	2557	2365	10363	80863	1522	14665	21430	5730	172330
प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जुड़े परिवार	23	1601	1155	1482	115	1005	3374	938	2678	7298	0	2592	0	2116	24377
मनरेगा के तहत जुड़े परिवार	1990	4500	1966	14864	13624	1008	869	61	16262	40241	0	4078	0	7000	106463
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जुड़े परिवार	191	76	950	4560	351	0	428	0	2348	4391	59	423	0	293	14070
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जुड़े परिवार	471	124	1907	7415	1025	300	915	217	2213	9758	0	2335	0	245	26925
ग्रामीण पेयजल योजना व स्वच्छता से सहयोग प्राप्त परिवार	0	0	2781	1223	539	1368	790	139	5316	10968	2234	11461	0	82	36901
अन्य फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़े गए अनुसूचित जनजातीय परिवार	919	1532	1091	4649	230	0	1749	468	12292	27537	6714	3848	29757	8239	99025
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजना आदि) से लाभान्वित परिवार	1063	13	3241	2806	3000	4303	4525	0	19795	36520	61787	3997	64289	19183	224522
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित परिवार	43	23380	1305	3036	4135	0	102	0	2017	43438	2311	3210	25370	1641	109988

कच्छ–गुजरात के पशुपालकों पर आधारित 'लिविंग लाइटली' प्रदर्शनी

REPORT DESIGN : PLAN B, NEW DELHI

BRLF
भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन
सी–32, नीति बाग, दूसरा तल, नई दिल्ली, 110049
ई.मेल : info@brlf.in
फोन : 011 - 4606 1935

www.brlf.in